इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 अगस्त 2011—श्रावण 28, शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2011

क्र. ई-5-78?-आयएएस-लीव-5-एक .—(1) श्री भरत कुमार व्यास, आयएएस., सचिव मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को दिनांक 28 जून से 7 जुलाई 2011 तक, दस दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री भरत कुमार व्यास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री भरत कुमार व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भरत कुमार व्यास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2011

क्र. ई-5-685-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री डी. पी. आहूजा, आयएएस. अध्यक्ष-सह-प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमि., इंदौर को दिनांक 8 से 12 अगस्त 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 7 अगस्त एवं 13, 14, 15 अगस्त 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. आहूजा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष-सह-प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमि. इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री डी. पी. आहूजा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. आहूजा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-842-आयएएस-लीव-5-एक .—(1) श्री एस. पी. एस. सलूजा, आयएएस, अपर आयुक्त (राजस्व) ग्वालियर/चंबल संभाग को दिनांक 16 से 19 अगस्त 2011 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13, 14, 15 एवं दिनांक 20, 21, 22 अगस्त 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. पी. एस. सलूजा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त (राजस्व), ग्वालियर/चंबल संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री एस. पी. एस. सलूजा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. पी. एस. सलूजा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2011

क्र. ई-5-709-आयएएस-लीव-एक-5 .—(1) श्रीमती सीमा शर्मा, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 12 से 16 सितम्बर 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10,11 सितम्बर एवं 17, 18 सितम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सीमा शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सीमा शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सीमा शर्मा, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई-5-486-आयएएस-लीव-5-एक .—(1) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल, आयएएस., वि.क.अ.-सह-आयुक्त, उद्योग, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम तथा मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को दिनांक 2 से 6 अगस्त 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 7 अगस्त 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न वि.क.अ.-सह-आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम तथा मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद चन्द्र सेमवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-830-आयएएस-लीव-5-एक .—(1) श्री संकेत भोंडवे शांताराम, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिवनी को दिनांक 2 से 16 सितम्बर 2011 तक, पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ

दिनांक 17, 18 सितम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री संकेत भोंडवे शांताराम की अवकाश अवधि में श्री बी. एस. कुलेश, अपर कलेक्टर, जिला सिवनी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिवनी का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संकेत भोंडवे शांताराम, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिवनी के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री संकेत भोंडवे शांताराम द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिवनी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. एस. कुलेश, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिवनी के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री संकेत भोंडवे शांताराम को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संकेत भोंडवे शांताराम, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2011

क्र. एफ-ए-5-04-2011-एक(1) **संशोधन.**—विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3 जून 2011 में वर्णित माननीय न्यायाधिपति के नाम क्रमश: मान. न्यायाधिपति श्री शील नागू और मान. न्यायाधिपति श्री सुजय पॉल पढ़ा जाय.

2. शेष यथावत रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2011

क्र. ई-5-299-आयएएस-लीव-एक-5.—श्री सत्य प्रकाश, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 जून 2011 द्वारा दिनांक 20 से 30 जून 2011 तक, ग्यारह दिन का स्वीकृत एक्स इंडिया अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2011

क्र. ई-5-845-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. सी. जैन, आयएएस., उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिनांक 21 जून से 20 जुलाई 2011 तक, 30 दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री के. सी. जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के.सी. जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2011

क्र. ई-5-865-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री वी. किरण गोपाल, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी, पिपरिया को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 मई 2011 द्वारा दिनांक 9 मई से 10 जून 2011 तक, तैंतीस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 11 से 17 जून 2011 तक सात दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 मई 2011 की शेष कंडिकायें यथावत रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2011

क्र. ई-5-564-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्रीमती वीरा राणा, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर को निम्नानुसार अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

1. दिनांक 18 जुलाई 2011 से दिनांक 22 जुलाई 2011 तक 5 दिन.
2. दिनांक 28 जुलाई 2011 से दिनांक 1 अगस्त 2011 तक 5 दिन.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती वीरा राणा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इंदौर के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती वीरा राणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती वीरा राणा, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2011

क्र. ई-5-723-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री मनीष सिंह, आयएएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग तथा परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पीआईसीयू) को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 जुलाई 2011 द्वारा विदेश प्रशिक्षण के क्रम में दिनांक 23 से 30 जुलाई 2011 तक, आठ दिन के स्वीकृत एक्स इंडिया अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

क्र. ई-5-396-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती अजिता बाजपेई पांडे, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछलीपालन विभाग को दिनांक 30 जुलाई 2011 को एक दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अजिता बाजपेई पांडे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछलीपालन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती अजिता बाजपेई पांडे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अजिता बाजपेई पांडे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव ''कार्मिक''.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2011

क्र. ई-1-207-2011-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नत करते हुए उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्रमांक	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	**श्री ए. के. दास (1978)** प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग.	अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग.	अध्यक्ष राजस्व मंडल
2	**श्री आर. रामानुजम** (1979) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा परिवहन विभाग (अतिरिक्त प्रभार)	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा परिवहन विभाग (अतिरिक्त प्रभार)	अध्यक्ष राजस्व मंडल

2. उक्त पदस्थापना आदेश दिनांक 01 अगस्त, 2011 से प्रभावशील होंगे.

क्र. ई-1-258-2011-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्रमांक	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	**श्री डी. सिंघई (1978)** संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, मध्यप्रदेश .	अध्यक्ष, राजस्व मंडल ग्वालियर.	-
2	**श्री प्रसन्न कुमार दाश (1981)** प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (ट्रायफेक)तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग.	-
3	**श्री जयदीप गोविन्द (1984)** प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग.	मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन कार्य के लिए).	-
4	**श्री पी. सी. मीना (1984)** मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन कार्य के लिए)	आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ का अतिरिक्त प्रभार.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
5	**श्री पी. के. दास (1986)** वि.क.अ.-सह-श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (ट्रायफेक).	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
6.	**श्री आशीष उपाध्याय (1989)** आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश एवं वि.क.अ., लोक सेवा गारंटी का अतिरिक्त प्रभार.	संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, मध्यप्रदेश तथा आयुक्त-सह-संचालक आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश का अतिरिक्त प्रभार.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	**श्री विनोद कुमार (1989)** सदस्य, राजस्व मंडल, ग्वालियर.	श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर	–
8.	**श्री टी. धर्मारावं (1989)** कमिश्नर, उज्जैन संभाग, उज्जैन.	कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा	–
9.	**श्री अरूण कुमार पाण्डेय (92)** आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ (अतिरिक्त प्रभार) तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग.	कमिश्नर उज्जैन संभाग, उज्जैन	–
10.	**श्री संजीव कुमार झा (1996)** संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं तथा अपर आयुक्त, आदिवासी विकास का अतिरिक्त प्रभार.	परियोजना संचालक प्रोजेक्ट उदय	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

2. श्री अनिल श्रीवास्तव, भाप्रसे (1985) आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग को अपने कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

3. श्री एस. सी. मिश्रा, भाप्रसे (1991) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

4. उपरोक्तानुसार श्री एस. सी. मिश्रा द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. जे.टी. एक्का, भाप्रसे (1986), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

5. इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-219-2011-5-एक, दिनांक 25 जून, 2011 की तालिका के अनुक्रमांक 4 जिसके द्वारा श्री के. सी. गुप्ता, भाप्रसे (1992) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा पदस्थ किया गया है, को एतद्द्वारा निरस्त करते हुए, अब उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश पदस्थ किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2011

क्र. ई-1-20-2009-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में उल्लिखित अधिकारीगण, जो भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2009-एआईएस (1) बी, दिनांक 01 अगस्त, 2011 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए हैं, द्वारा धारित असंवर्गीय पदों को राज्य शासन खाना (3) में

उल्लिखित तिथि से लेकर उक्त अधिकारियों को इन पदों पर पदस्थ रहने की तिथि तक, भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी में उक्त नियमों की अनुसूची 2-बी में सम्मिलित खाना (5) में दर्शाये गये संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम	भाप्रसे में नियुक्ति का दिनांक	भाप्रसे में नियुक्ति दिनांक को धारित असंवर्गीय पद का नाम	भाप्रसे संवर्ग में शामिल पद का नाम जिसके समकक्ष घोषित किया जा रहा है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री आशुतोष अवस्थी	1-8-2011	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग.	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
2	श्री अशोक कुमार भार्गव	1-8-2011	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मंदसौर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
3	श्री मसूद अख्तर	1-8-2011	अपर संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
4	श्री राजेन्द्र सिंह	1-8-2011	उप सचिव, लोकायुक्त संगठन	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
5	श्री जनक कुमार जैन	1-8-2011	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
6	श्री राजेश बहुगुणा	1-8-2011	विशेष सहायक, पूर्व मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश (माननीय श्री दिग्विजय सिंह).	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
7	श्री महेश चन्द्र चौधरी	1-8-2011	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, इन्दौर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
8	श्री आनंद कुमार शर्मा	1-8-2011	अपर कलेक्टर, इन्दौर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
9	श्री दयालदास अग्रवाल	1-8-2011	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
10	श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव	1-8-2011	अपर कलेक्टर, भोपाल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
11	श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय	1-8-2011	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	श्री शैलेन्द्र कियावत	1-8-2011	उपसचिव, राज्यपाल सचिवालय, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
13	श्री राजीव चन्द्र दुबे	1-8-2011	उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय,	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
14	श्री रविकांत जैन	1-8-2011	अपर कलेक्टर, ग्वालियर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
15	श्री प्रमोद कुमार गुप्ता	1-8-2011	अपर संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2011

क्र. एफ ए-5-18-2011-एक (1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री ए. के. श्रीवास्तव साहब, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नानुसार पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

अ. क्र. (1)	अवकाश अवधि (2)	कुल दिन (3)	अवकाश का प्रकार (4)	अभियुक्ति (5)
1	दिनांक 23-6-2011 से 24-6-2011 तक.	02 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित	अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 एवं 26-6-2011 तक का सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति सहित.
2	दिनांक 27-6-2011 से 1-7-2011 तक.	05 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित	अवकाश के पश्चात् में दिनांक 02 एवं 3-7-2011 तक का सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति सहित.

भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2011

क्र. एफ ए-5-06-2011-एक (1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री एन. के. गुप्ता साहब, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

अ. क्र. (1)	अवकाश अवधि (2)	कुल दिन (3)	अवकाश का प्रकार (4)	अभियुक्ति (5)
1	दिनांक 4-7-2011 से 8-7-2011 तक.	05 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2011

क्र. एफ. 05-3-2011-1-पचपन.—मध्यप्रदेश एनाटॉमी एक्ट, 1954 (क्रमांक 16 सन् 1954) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, कलेक्टरों को उनके अपने-अपने जिले के लिए मृत मानव शरीर के संदेह या विवाद के प्रकरणों में अंतिम विनिश्चय लेने के लिए प्राधिकृत करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. कुमरे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2011

क्र. एफ. 05-3-2011-1-पचपन.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 05-3-2011-1-पचपन, दिनांक 20 जुलाई 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. कुमरे, उपसचिव.

Bhopal, the 20th July 2011

No. F. 05-3-2011-1-LV.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Madhya Pradesh Anatomy Act 1954 (No. 16 of 1954), the State Government hereby authorize Collectors for their respective district to take final decision in the case of doubt or dispute of human dead body.

By Order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
S. S. KUMRE, Dy. Secy.

गृह (सामान्य)विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2011

क्र. एफ. 03-38-2010-दो-ए(3)-**शुद्धि-पत्र.**—राज्य शासन द्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 जुलाई 2010 के तहत कृषि विभाग के अधिकारियों के लिये सम्पन्न विभागीय परीक्षा "अप्रैल 2010" के प्रश्न-पत्र लेखा द्वितीय (बिना पुस्तकों के) में रीवा संभाग से सम्मिलित श्रीमती भगवती चौहान, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी अंकित है, के स्थान पर "इन्दौर संभाग" से सम्मिलित "श्रीमती भगवती चौहान, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी" पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अम्बरीश श्रीवास्तव, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2011

फा. क्र. 17 (ई) 1-2011-इक्कीस-ब-(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर श्रीमती पमीना शर्मा, न्यायालय उपाधीक्षक, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन की सेवाएं कार्यालय मध्यप्रदेश वाणिज्यिकर अपील बोर्ड, इन्दौर बैंच, इन्दौर में रीडर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त जाने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक वाणिज्यकर विभाग, मध्यप्रदेश शासन को सौंपता है.

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2011

क्र. 4-1-2002-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अगस्त 2002 के अनुक्रम में, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर, मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 के अधीन इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17 (ई)49-2009-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 20 नवम्बर 2009 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालयों में मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव (जूनियर) को, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़ के पद पर, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने अथवा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने (जो भी पहले हो), तक नियुक्त करता है.

उक्त न्यायिक अधिकारी को, देय वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत होगा.

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2011

फा. क्र. 1 (बी)11-04-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा

प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री गिरीश शर्मा पुत्र श्री के. पी. शर्मा, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये ग्वालियर सत्र खण्ड के राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक, नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 3 (ए)-15-2005-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री एल.डी. बौरासी, अतिरिक्त सचिव, की सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस कर उच्च न्यायालय, जबलपुर को एतद्द्वारा सौंपता है.

फा. क्र. 17 (ई)-51-2005-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, उच्च न्यायिक सेवा की अधिकारी श्रीमती सरिता सिंह, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं पीठासीन अधिकारी, म. प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम, भोपाल की सेवाएं, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ 5-14-2010-उन्तीस-2, दिनांक 30 जुलाई 2011 द्वारा उनकी नियुक्ति अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, ग्वालियर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर किये जाने के संबंध में दी गई सहमति के फलस्वरूप, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश शासन को सौंपता है.

भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2011

फा. क्र. 1-2-90--इक्कीस-ब (एक).—अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, सिंगरौली जिले के सेशन न्यायालय को, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए, उस दिनांक से, जिससे कि उच्च न्यायालय द्वारा पदस्थ किए जाने वाले न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपना पदभार ग्रहण करें, विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करता है.

2. इस जिले के विशेष न्यायालय में पैरा-1 के अधीन विशेष न्यायालय के गठन की तारीख को लंबित समस्त मामले, पैरा 1 के अधीन गठित विशेष न्यायालय को अंतरित हो जाएंगे.

F. No. 1-2-90-XXI-B(1).—In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1989), the State Government with concurrence of Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby specify for Singrauli District of Court of Session to be a Special Court to try the offences under the said Act from the date the Judge, of that Special court to be posted by the High Court, assumes the charge of his office in the said court.

2. All cases pending in the Special Courts of this district on the date of constitution of Special Court under para 1 shall stand transferred to the Special Court constituted under para 1.

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2011

फा. क्र. 1-1-88-इक्कीस-ब(एक).—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का. सं. 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-1-88-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 24 अक्टूबर, 2009 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 6 नवम्बर, 2009 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 3, 13, 31 और 40 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुसूची

अनुक्रमांक	सेशन न्यायाधीश/ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश	स्थानीय क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"3.	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अशोकनगर.	अशोकनगर
13.	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दतिया.	दतिया
31.	सेशन न्यायाधीश, पन्ना	पन्ना
40.	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शहडोल.	शहडोल.".

F. No. 1-1-88-XXI-B-(1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government, hereby, makes the following amendment in this Department's Notification F. No. 1-1-88-XXI-B(1), dated 24th October, 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1 dated 6th November, 2009 namely:—

In the said Notification in the Schedule, for serial number 3, 13, 31 and 40 and entries relating thereto the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Sessions Judge/ Additional Sessions Judge	Local area
(1)	(2)	(3)
"3.	Ist Additional Sessions Judge, Ashoknagar.	Ashoknagar
13.	Ist Additional Sessions Judge, Datia.	Datia
31.	Sessions Judge, Panna	Panna
40.	Ist Additional Sessions Judge, Shahdol.	Shahdol.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2011

फा. क्र. 1(सी)-19-11-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 52 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, कु. शर्मिला बिलवार, सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला रीवा को रीवा संभाग के विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु उनकी पदस्थापना तक अथवा दो वर्ष की अवधि तक जो भी कम हो, तक की अवधि के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

फा. क्र. 1(सी)-19-11-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 52 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री श्रीकांत गोरे, सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला जबलपुर को जबलपुर संभाग के विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु उनकी पदस्थापना तक अथवा दो वर्ष की अवधि तक जो भी कम हो, तक की अवधि के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

फा. क्र. 1(सी)-19-11-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 52 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री अशोक कुमार तिवारी, सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन को उज्जैन संभाग के विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु उनकी पदस्थापना तक अथवा दो वर्ष की अवधि तक जो भी कम हो, तक की अवधि के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

फा. क्र. 1(सी)-19-11-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 52 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री आशुतोष पाण्डे, सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला ग्वालियर को ग्वालियर संभाग के विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु उनकी पदस्थापना तक अथवा दो वर्ष की अवधि तक जो भी कम हो, तक की अवधि के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

फा. क्र. 1(सी)-19-11-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 52 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री जितेन्द्र सिंह चौहान, उप संचालक (अभियोजन) भोपाल को मुख्यालय भोपाल के विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु उनकी पदस्थापना तक अथवा दो वर्ष की अवधि तक जो भी कम हो, तक की अवधि के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

फा. क्र. 1(सी)-19-11-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 52 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री राजकुमार उइके, सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला सागर को सागर संभाग के विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु उनकी

पदस्थापना तक अथवा दो वर्ष की अवधि तक जो भी कम हो, तक की अवधि के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

फा. क्र. 1(सी)-11-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो)-2011.—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री हीरालाल मोंगिया, उप संचालक, अभियोजन, जिला देवास को देवास जिले के लिये विशेष लोक अभियोजन की शक्तियां उनकी उक्त पदस्थापना तक की अवधि के लिये प्रदान करता है.

फा. क्र. 1(सी)-11-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो)-2011.—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री श्यामलाल कोष्टा, उप संचालक, अभियोजन, ई.ओ.डब्ल्यू., जिला सतना को सतना जिले के लिये विशेष लोक अभियोजन की शक्तियां उनकी उक्त पदस्थापना तक की अवधि के लिये प्रदान करता है.

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2011

फा. क्र. 1(बी)-17-11-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 जून 2010 द्वारा नियुक्त श्री अरुण कुमार लिटौरिया, अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, (फास्ट ट्रेक कोर्ट) दतिया के कार्यकाल दिनांक 31 मई 2011 को समाप्त होने के पश्चात् उनके कार्यकाल में दिनांक 1 जून 2011 से 31 मई 2014 तक में तीन वर्ष की अभिवृद्धि करता है. यह अभिवृद्धि इस शर्त के अधीन है कि यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2011

फा. क्र. 1(सी)-21-2011-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (8) को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (ई.ओ.डब्ल्यू.), जबलपुर में विचाराधीन सत्र प्रकरण क्रमांक 94/11 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 (बी) 406, 409 सहपठित धारा 34 भा.दं.वि. में राज्य शासन की ओर से पैरवी करने के लिये श्री अरुण कुमार गुप्ता, उप संचालक, जबलपुर को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

वे प्रकरण के निराकरण तक पैरवी करने हेतु विशेष लोक अभियोजक रहेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2011

क्र. डी-15-17-2011-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये, उक्त अधिनियम की अनुसूची में विर्निदिष्ट की गई कृषि उपज का सागर जिले की तहसील सागर में समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में क्रय-विक्रय का विनियमन करने के लिये विकास खण्ड जैसीनगर में मंडी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2011

क्र. डी. 15-17-2011-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 अगस्त 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार उपसचिव.

Bhopal, the 4th August 2011

No. D-15-17-2011-XIV-3.—WHEREAS, in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972, (No. 24 of 1973), the State Government hereby declares its intention to establish a market at Develop Block Jaiseenagar for regulating the purchase and sale of agricultral produce mentioned in the shcedule of the said Act, including all revenue and forest villages of the area of Tehsil Sagar of Sagar district.

Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Bhopal from any person with respect to this Notification within Six weeks from the date of publication of this Notification in the "Madhya Pradesh Gazette" will be considered by the State Government.

By Order and in the name of the Governor of the Madhya Pradesh,
AJAY SINGH GANGWAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2011

क्र. डी-15-17-2007-चौदह-3.—चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1960 (19 सन् 1960), की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 6324-2936-चौदह-1, दिनांक 19 अक्टूबर 1963 द्वारा सागर जिले की सागर तहसील के क्षेत्र में (जो इसमें इसके पश्चात् "उक्त मंडी क्षेत्र" के नाम से निर्दिष्ट है), उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय-विक्रय को विनियमित किया था.

और, चूंकि, उक्त मंडी क्षेत्र में से विकासखण्ड जैसीनगर के नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित 125 ग्राम जो जिला सागर की तहसील सागर में समाविष्ट क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त क्षेत्र के नाम से निर्दिष्ट है) को विपाटित करके "उक्त मंडी क्षेत्र" की सीमाओं में परिवर्तन करना प्रस्तावित है.

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 के उपधारा (1) के खण्ड (तीन) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा "उक्त मंडी क्षेत्र" में "उक्त क्षेत्र" को विपाटित करके मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित करती है.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा:—

अनुसूची

1. सागौनी खुर्द, 2. महुआखेरा गाड़ी, 3. काली पठार, 4. टेहरा टेहरी, 5. महगांव, 6. कोरजा, 7. ढकरई, 8. मुडरी, 9. सेवन, 10. सेनकुआ रैयतवारी, 11. सेनकुआ मालगुजारी, 12. तोड़ा तरफदार, 13. पडरियाकला, 14. करहद, 15. सिगारचोरी, 16. महुआखेड़ाकला, 17. ताजपुर, 18. मनेशिया, 19. सेमराकला, 20. सिगारमुन्डी, 21. मसूरयाई, 22. हंसरई, 23. लुहारा, 24. जोहरिया, 25. पडरियाखुर्द, 26. ईसरवारा, 27. किल्लाई, 28. सेमराघाट, 29. देवलचौरी, 30. सेमराधोना, 31. बांसा, 32. खारमउ, 33. सरखडी, 34. साजी 35. सेमाढाना, 36. रमपुरा, 37. रीछई, 38. परासिया, 39. जेरा 40. सागौनीभाट, 41 बेरखेड़ी गुसांई, 42. जोतपुर, 43. मेडकी, 44. चौका 45. केसलोन, 46. डुगरिया, 47. हिन्नपुर, 48. रहली, 49 गोंदई, 50. जमुनियाघोषी, 51. रमपुरा, 52. जैसीनगर, 53. बिजौरा, 54. भिडबांसा, 55. गाडरखेरा, 56. अगरिया 57. सूखा 58 शोभापुर, 59. खमरिया गौड़, 60. ओरिया, 61. सागौनीपरैना, 62. पड़रई, 63. चैनपुरा, 64. सागौनीगुरू, 65. सत्ताढाना, 66. महुआखेड़ापेगवार, 67. बदौआ, 68. सोमला, 69. कनेरागौड़, 70. घाउ, 71. मनकाई, 72. खिरियादामोदा, 73. तेन्दुडाबर, 74. मउचल, 75. बड़ेरा, 76. परगासपुरा, 77. करैया, 78. चादौनी, 79. बम्होरी घाट, 80. बिछुआ, 81. गेहूंरास खुर्द, 82. वनजारिया, 83. खमरिया बुजुर्ग, 84. घोहा, 85. कंकरकुईया, 86. सेमरागोपालमन, 87. खजुरिया, 88. विशनपुरा, 89. घोघरी, 90. वखरा, 91. हडा, 92. कंदेला, 93. अमोदा, 94. पठा, 95. हिन्नोद, 96. बरकुआ महंत, 97. संजरा, 98. केवलारी, 99. सूरजपुरा, 100. सिमरिया, 101. बक्शवाहा, 102. झमरा, 103. चारटोरिया, 104. कुशुमगढ़, 105. खुरई थावरी, 106. सहजपुरी खुर्द, 107. सहजपुरी बुजुर्ग, 108. मोलपुर, 109. पिपरिया, 110. टेकापार, 111. खगकुआ, 112. हीरापुर, 113. घाना, 114. खेजरामाफी, 115. पनारी, 116. बिलहारा, 117. गेहूंरास बुजुर्ग, 118. गेहलपुर, 119. भजिया, 120. साजी, 121. पिपरिया, 122. घानामाफी, 123. कटंगी, 124. वीरापुर, 125. बरकुआ खुई.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2011

क्र. डी-15-17-2011-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 अगस्त 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार उपसचिव.

Bhopal, the 4th August 2011

No. D-15-17-2011-XIV-3.—WHEREAS, by this department Notification No. 6324-2936-14-1, dated 19 Octorber 1963 issued under the section 3 of sub-section (3) of the Madhya Pradesh Agricultural produce market Act, 1960 (19 of 1960) the state Government regulated the purchase and sale of the agricultural produce specified in the said notification in the area of Sagar Tehsil of Sagar District (here in after referred to as the "said market area.")

AND, WHEREAS, it is now proposed to alter the limits of the said market area by split up here with the area comprising of 125 villages situated in the following list of jaiseenagar of Sagar Tehsil of Sagar District (here in after referred to as the "said area").

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred by clause (iii) of sub-section (1) of section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by signifies its intention to alter the limit of the said market area by splitting up as per the "said area".

Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh. Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Bhopal from any person with respect to this Notification within Six weeks from the date of publication of this Notification in the " Madhya Pradesh Gazette" will be considered by the State Government:—

LIST

1. Sagoni khurd, 2. Mahuakhera gaadi, 3. Kalipathar, 4. Tehra Tehari, 5. Mahagown, 6. Korja, 7. Dhakrai, 8. Mudri, 9. Sevan, 10. Senlaua Raiyatwari, 11. Senkua Malgujari, 12. Toda Tarapindar, 13. Padariyakala, 14. Karhai, 15. Sigarchori, 16. Mahuakhedakala, 17. Tajpur, 18. Manesiya. 19. Semarakala, 20. Sigarmundi, 21 Masuryai, 22. Hansrai, 23. Luhara, 24. Johariya, 25. Padariyakhurd, 26. Eeesarwara, 27. Killai, 28. Semoraghat, 29. Devalchouri, 30. Semaradhona, 31. Bansha, 32. Kharmau, 33. Sarkhadi, 34. Saaji, 35. Semadhana, 36. Rampura, 37. Reechhai, 38. parasiya, 39. Zera, 40. Sagounibhat, 41. Berkhedi Gusai, 42. Jotpur, 43. Medki, 44. Chouka, 45. Keshlon, 46. Dugriya, 47. Hinnpur, 48. Rehli, 49. Gondai, 50. Jamuniyaghosi, 51.Rampura, 52. Jaiseenagar, 53. Bijoura, 54. Bhidwansa, 55. Gadarkhera. 56. Agariya, 57. Sukha, 58. Sobhapur, 59. Khamariya goud, 60. Oriya, 61. Sagounipurena, 62. Padrai, 63. Chainpura, 64. Sagouniguru, 65. Sattadhana, 66. Mahuakheda Pagwar, 67. Badoua, 68. Somla, 69. Kenera Gound, 70. Ghau, 71. Mankai, 72. Khiriyadamoda, 73. Tendudawar, 74. Maouchal, 75. Badera, 76. Pargaspura, 77. Karaiya, 78. Chadouni, 79. Bamhorighat, 80. Bichhua, 81. Gehuraskhurd, 82. Banjariya, 83. Khamriyabujurg, 84. Ghoha, 85. Kankarkuiya, 86. Semragopalman, 87. Khajuriya, 88. Bishanpura, 89. Ghoghri, 90. Wakhra, 91. Hada, 92. Kandela, 93. Amoda, 94. Patha, 95. Hinnod, 96. Barkua Mahant, 97. Sanjra, 98. Kavlari, 99. Surajpura, 100. Simriya, 101. Bakashwaha, 102. Jhamra, 103. Chrtoriya, 104. Kushumgarh, 105. Khuraithawari, 106. Sahajpuri khurd, 107. Sahajpuri bujurg, 108. Molpur, 109, Pipriya, 110. Takapar, 111. Khamkua, 112. Heerapur, 113. Ghana, 114. Khejaramaphi, 115. Panari, 116. Bilhara, 117. Gehurasbujurg, 118. Gehalpur, 119. Bhajiya, 120. Saaji, 121. Pipriya, 122. Ghanamaphi, 123. Katangi, 124. Beerapura, 125. Barkua Khuai.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

AJAY SINGH GANGWAR, Dy. Secy.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2011

क्र. एफ. 11-1-2011-तीस.—राज्य शासन की राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनिष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विकृत किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने से या उसका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.

अतएव, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीयता स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.

किसी भी ऐसी आपत्ति पर जो इस संबंध में निम्न प्राचीन स्मारक तथा अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जायेगा :—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र	स्मारक का नाम	राज्यस्तरीय क्षेत्र जो संरक्षण में सम्मिलित होना है	क्षेत्र सीमांक	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	राजगढ़	नरसिंहगढ़	नरसिंहगढ़ थावरिया वार्ड क्र. 01.	नरसिंहदेव प्रतिमा एवं मंदिर परिसर.	खसरा नं. 133	5.793 हे.	मध्यप्रदेश शासन	धार्मिक पूजा के अधीन है.

क्र. एफ. 11-3-2011-तीस.—राज्य शासन की मंशा है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनिष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विकृत किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उसका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीयता स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्न प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.

किसी भी ऐसी आपत्ति पर जो इस संबंध में निम्न प्राचीन स्मारक तथा और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जायेगा :—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र	स्मारक का नाम	राजस्व क्षेत्र जो संरक्षण में सम्मिलित होना है	क्षेत्र सीमांक	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	रीवा	त्यौंथर	त्यौंथर	कोलगढ़ी किला.	आ. नं. 243	0.70 ए. 0.283 हे.	मध्यप्रदेश शासन	धार्मिक पूजा के अधीन नहीं है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लक्ष्मीकान्त द्विवेदी, उपसचिव.

सहकारिता विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2011

क्र. एफ. 1-62-2010-पन्द्रह-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा निम्नलिखित वरिष्ठ सहकारी निरीक्षकों को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अंकेक्षण अधिकारी के पद पर वेतनबैंड पीबी-2 रुपये 9300-34800+ग्रेड-पे 4200/- में पदोन्नत कर, निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार कॉलम क्रमांक (4) में अंकित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरान्त नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री एस. के. गोयल	भोपाल	मुरैना
2	श्री एन. के. हकीम	देवास	मंदसौर
3	श्री एम. जी. नेमा	जबलपुर	जबलपुर
4	श्री ए. के. एस. भदौरिया	शिवपुरी	शिवपुरी
5	श्री एस. बी. कटारे	बड़वानी	खरगौन
6	श्री जे. पी. सोनी	धार	खण्डवा
7	श्री चैतनाथ सिंह	रीवा	रीवा
8	श्री एम. एल. यादव	दमोह	छतरपुर
9	श्री विवेक रंजन दुबे	होशंगाबाद	होशंगाबाद
10	श्री देवेन्द्र कुमार गुप्ता	मुख्यालय	भोपाल
11	श्री रविन्द्र कुमार शर्मा	मुरैना	दतिया
12	श्रीमती राधारानी जोशी	इन्दौर	इन्दौर
13	श्री पी. एस. बरौठिया	एकीकृत सहकारी विकास परियोजना विदिशा.	प्रतिनियुक्ति पर एकीकृत सहकारी विकास परियोजना विदिशा.
14	श्री रमेश कोरी	दमोह	रतलाम
15	श्री आर. के. पाटिल	भोपाल	भोपाल
16	श्री खरगराम कोरी	सागर	छतरपुर
17	श्री दिनेश सिंह भिड़े	झाबुआ	बुरहानपुर

2. मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की पृविष्टियां रोस्टर पंजी में दर्ज कर ली गई हैं.

3. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 वर्ष 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबन्धों का ओर उक्त अधिनियम तथा नियमों को उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. आर. एस. मरावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2011

फा. क्र. 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब(एक).—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का संख्यांक 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब(1), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 3, 4, 23, 36, 71, 76, 83, 84, 84-ए और 103 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
"3.	अनूपपुर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर	अनूपपुर, कोतमा एवं राजेन्द्र ग्राम का विद्युत् क्षेत्र.
4.	अशोकनगर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अशोकनगर	अशोकनगर का विद्युत् क्षेत्र.
23.	दमोह	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह	सिविल जिला दमोह का विद्युत् क्षेत्र.
36.	गुना	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गुना	सिविल जिला गुना, का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 37 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
71.	रायसेन	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बेगमगंज	बेगमगंज का विद्युत् क्षेत्र
76.	रतलाम	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जावरा	जावरा, आलोट तथा सैलाना का विद्युत् क्षेत्र.
83.	सतना	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना	सिविल जिला सतना के सतना शहर का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 84, 84-ए तथा 85 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
84.	सतना	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना	सिविल जिला सतना ग्रामीण का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 84-ए तथा 85 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
84-ए	सतना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नागौद	नागौद तथा उचेहरा का विद्युत् क्षेत्र
103.	टीकमगढ़	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, टीकमगढ़	सिविल जिला टीकमगढ़ का समस्त विद्युत् क्षेत्र.".

टिप्पणी.—विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे.

F. No. 17(E)83-03-XXI-B-(One).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B-(One), dated 16th September 2010, namely :—

AMENDMENTS

In the said notification, in the Table, for serial numbers 3, 4, 23, 36, 71, 76, 83, 84, 84-A and 103 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S.No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
"3.	Anuppur	I[st] Additional Sessions Judge, Anuppur.	Electricity Area of Anuppur, Kotma and Rajendragram.
4.	Ashoknagar	I[st] Additional Sessions Judge, Ashoknagar.	Electricity Area of Ashoknagar.
23.	Damoh	I[st] Additional Sessions Judge, Damoh.	Electricity Area of Civil District, Damoh
36.	Guna	III[rd] Additional Sessions Judge, Guna.	All Electricity Area of Civil District Guna (excluding the jurisdiction of special court at serial number 37).
71.	Raisen	Additional Sessions Judge, Begumganj.	Electricity Area of Begumganj.
76.	Ratlam	I[st] Additional Sessions Judge, Jaora.	Electricity Area of Jaora, Alot and Sailana.
83.	Satna	III[rd] Additional Sessions Judge, Satna.	All Electricity Area of Civil District Satna of Satna Urban (excluding the jurisdiction of special court at serial number 84, 84-A and 85).
84.	Satna	IV[th] Additional Sessions Judge, Satna.	All Electricity Area of Civil District Satna of Satna Rural (excluding the jurisdiction of special court at serial number 84-A and 85).
84-A	Satna	Additional Sessions Judge, Nagod.	Electricity Area of Nagod and Uchehra.
103.	Tikamgarh	I[st] Additional Sessions Judge, Tikamgarh.	All Electricity Area of Civil District, Tikamgarh.

Note.—The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to the newly constituted court according to their territorial jurisdiction.

फा. क्र. 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब(एक).—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का संख्यांक 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 3, 4, 23, 36, 71, 76, 82, 83, 84, 84-ए, 98 और 103 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सारणी

क्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
"3.	अनूपपुर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर	श्री दीपक गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर.
4.	अशोकनगर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अशोकनगर	श्री एस. के. जैन (सीनियर), प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अशोकनगर.
23.	दमोह	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह	श्री सुबोध कुमार जैन, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह.
36.	गुना	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गुना	श्री राजीव आप्टे, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गुना.
71.	रायसेन	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बेगमगंज	श्री अवधेश कुमार सिंह, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बेगमगंज.
76.	रतलाम	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जावरा	श्री महेन्द्र कुमार जैन, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जावरा.
82.	सागर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रेहली के अतिरिक्त न्यायाधीश	श्री के. एस. तोमर, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रेहली के अतिरिक्त न्यायाधीश.
83.	सतना	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना	श्री ए. के. सिंह (सीनियर), तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना.
84.	सतना	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना	श्रीमती अनुराधा शुक्ला, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना.
84-ए	सतना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नागौद	श्री अखिलेश चंद्र शुक्ला, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नागौद.
98.	शिवपुरी	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शिवपुरी	श्री एम. एच. अंसारी, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शिवपुरी.
103.	टीकमगढ़	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, टीकमगढ़	श्री उपेन्द्र कुमार सिंह, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, टीकमगढ़ .".

F. No. 17(E)83-03-XXI-B-(One).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradeah, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B-(One), dated 16th September 2010, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial numbers 3, 4, 23, 36, 71, 76, 82, 83, 84, 84-A, 98 and 103 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S.No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
"3.	Anuppur	I[st] Additional Sessions Judge, Anuppur..	Shri Deepak Gupta, I[st] Additional Sessions Judge, Anuppur.
4.	Ashoknagar	I[st] Additional Sessions Judge, Ashoknagar.	Shri S. K. Jain (Senior) I[st] Additional Sessions Judge, Ashoknagar.
23.	Damoh	I[st] Additional Sessions Judge, Damoh.	Shri Subodh Kumar Jain, I[st] Additional Sessions Judge, Damoh.
36.	Guna	III[rd] Additional Sessions Judge, Guna.	Shri Rajeev Apte, III[rd] Additional Sessions Judge, Guna.
71.	Raisen	Additional Sessions Judge, Begumganj.	Shri Avdesh Kumar Singh, Additional Sessions Judge, Begumganj.
76.	Ratlam	I[st] Additional Sessions Judge, Jaora.	Shri Mahendra Kumar Jain, I[st] Additional Sessions Judge, Jaora.
82.	Sagar	Additional Judge to Additional Sessions, Judge, Rehli.	Shri K. S. Tomar, Additional Judge to Additional Sessions, Judge, Rehli.
83.	Satna	III[rd] Additional Sessions Judge, Satna.	Shri A. K. Singh (Senior) III[rd] Additional Sessions Judge, Satna.
84.	Satna	IV[th] Additional Sessions Judge, Satna.	Smt. Anuradha Shukla, IV[th] Additional Sessions Judge, Satna.
84-A	Satna	Additional Sessions Judge, Nagod.	Shri Akhilesh Chandra Shukla, Additional Sessions Judge, Nagod.
98.	Shivpuri	III[rd] Additional Sessions Judge, Shivpuri.	Shri M. H. Ansari, III[rd] Additional Sessions Judge, Shivpuri.
103.	Tikamgarh	I[st] Additional Sessions Judge, Tikamgarh.	Shri Upendra Kumar Singh, I[st] Additional Sessions Judge, Tikamgarh.".

फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब(एक).—स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-6-89-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 अप्रैल, 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 17 और 38-क तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुसूची

अनुक्रमांक	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम	विशेष न्यायालय	स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड
(1)	(2)	(3)	(4)
"17.	श्री पी. एस. कुशवाह विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण), अधिनियम, 1989.	भिण्ड	भिण्ड
38-क.	श्री महेन्द्र कुमार जैन अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जावरा.	अतिरिक्त विशेष न्यायालय, जावरा.	पुलिस थाना जावरा शहर का स्थानीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र जावरा, कालूखेड़ा, रिंगनोद, बड़ोद, पिपलौदा तथा पुलिस थाना ताल.".

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 1-6-89-XXI-B(1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F.No. 1-6-89-XXI-B(I) dated 3rd April 1998, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I dated 17th April, 1998, namely:—

AMENDMENTS

In the said Notification, in the Schedule, for serial numbers 17 and 38-A and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall respectively be substituted, namely:—

SCHEDULE

S. No	Name and designation of the Judge	Special Court	Local area/Session division
(1)	(2)	(3)	(4).
"17.	Shri P. S. Kushwah Special Judge, Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act, 1989.	Bhind	Bhind
38-A.	Shri Mahendra Kumar Jain, Additional Sessions Judge, Jaora.	Additional Special Court, Jaora.	Local area of Police Station Jaora City, Industrial Area Jaora, Kalukheda, Ringnod, Badauda, Piploda and and Police Station Taal.".

This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in the Notification assumes the charge of this office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिंगरौली, मध्यप्रदेश

सिंगरौली, दिनांक 3 अगस्त 2011

क्र. 796-आर.डी.एम.-2011.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1972 का संख्या 02) की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मैं, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिंगरौली, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (1) में विनिर्दिष्ट स्थान पर मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-2(क)-48-10-बी-3-दो, भोपाल, दिनांक 24 जून 2011 के द्वारा सिंगरौली जिले के सरई थाना के अन्तर्गत स्वीकृत "नवीन पुलिस चौकी निगरी" की अधिकारिता, अनुसूची के कालम नं. (2) में अंकित तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट रखने वाली पुलिस चौकी के रूप में घोषित करता हूं:—

अनुसूची

पुलिस स्टेशन का स्थान (1)	अधिकारिता (2)
पुलिस चौकी निगरी, थाना सरई, जिला सिंगरौली (म. प्र.)	1. निगरी, 2. कटई 3. बेलगांव 4. जोवा 5. ताल 6. दियाडोल 7. धनवाही 8. कुचवाही 9. काछीनार 10. छमरछ

No. 797-RDM-2011.—In exercise of the powers conferred by clause (G) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) the I, Collector & District Magistrate Singrauli hereby, declare the Police Out Post at the Place specified in column (1) of the schedule below having jurisdiction specified in the corresponding entries in column (2) of the said schedule. This police out post will remain in the jurisdiction of police station Sarai :—

SCHEDULE

Places of Police Out Post (1)	Jurisdiction (2)
Out Post Nigari, Police Station Sarai, Distt. Singrauli (M.P.)	1. Nigari 2. Katai 3. Belgawan 4. Jowa 5. Tal 6. Diyadol 7. Dhanwahi 8. Kuchwahi 9. Kachhinar 10. Chamrach

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2011

आदेश

क्र. एफ-1-6-09-रास-यूए-1-1040.—प्रो. राम राजेश मिश्रा, कुलपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा दिनांक 3 अगस्त 2011 को प्रस्तुत त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है.

''मध्यप्रदेश विश्विद्यालय अधिनियम, 1973'' की धारा 14 की उपधारा (6) के प्रावधानांतर्गत मैं, रामेश्वर ठाकुर, कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, एतद्द्वारा, डॉ. जगमोहन केलर, आचार्य, भौतिक शास्त्र विभाग एवं संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर को नये कुलपति की नियुक्ति होने तक के लिए उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्य सम्पादित करने के लिये नाम-निर्देशित करता हूं.

रामेश्वर ठाकुर, कुलाधिपति.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2011

आदेश

क्र एफ 67-263-10-तीन-1265.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार **अध्यक्ष** के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार **अध्यक्ष** का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत ब्यौहारी जिला शहडोल** के आम निर्वाचन में **श्री हरिमोहन तिवारी** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. **नगर पंचायत ब्यौहारी जिला शहडोल** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी **शहडोल** के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी **शहडोल** के पत्र क्रमांक न.पा.-निर्वा.-2010-775, दिनांक 5 जून, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री हरिमोहन तिवारी** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री हरिमोहन तिवारी** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 15 जुलाई 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, शहडोल के माध्यम से दिनांक 4 अगस्त 2010 को उनके पुत्र **श्री प्रियदर्शी तिवारी,** उम्र 20 वर्ष के माध्यम से तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री हरिमोहन तिवारी को नोटिस दिनांक 4 अगस्त 2010 को तामील कराया गया. अत: अभ्यर्थी को दिनांक 19 अगस्त 2010 तक निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर शहडोल ने पत्र दिनांक 13 सितम्बर 2010 में लेख किया कि ''अभ्यर्थी द्वारा

एक माह की अवधि व्यतीत होने के उपरांत भी आज दिनांक तक इस कार्यालय में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया.'' उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 29 मार्च, 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष दिनांक 26 अप्रैल, 2011 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली कलेक्टर, शहडोल द्वारा दिनांक 23 अप्रैल, 2011 को कराई गई, अभ्यर्थी ने दिनांक 22 अप्रैल 2011 को एक अभ्यावेदन आयोग को प्रेषित करते हुए लेख किया कि वे व्यक्तिगत सुनवाई की दिनांक 26 अप्रैल 2011 को अस्वस्थ होने के कारण उपस्थित नहीं हो सकेंगे. अभ्यर्थी के उक्त अभ्यावेदन के आधार पर उन्हें सुनवाई का एक और मौका देते हुए 18 जुलाई 2011 को आहूत किया गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली कलेक्टर, शहडोल द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री हरिमोहन तिवारी** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत ब्यौहारी जिला शहडोल** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2011

आदेश

क्र एफ 67-5-8-तीन-1268.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार **अध्यक्ष** के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार **अध्यक्ष** का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2007 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत नरवर जिला शिवपुरी** के आम निर्वाचन में **श्रीमती गीताबाई/कल्लूराम बाथम** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर पंचायत के निर्वाचन की परिणाम दिनांक 24 दिसम्बर 2007 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 23 जनवरी 2008 तक, **श्रीमती गीताबाई/कल्लूराम बाथम** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला शिवपुरी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवपुरी के पत्र क्रमांक स्था. निर्वा.-न.पा.नि.-2007-394, दिनांक 29 फरवरी 2008 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती गीताबाई/कल्लूराम बाथम** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्रीमती गीताबाई/कल्लूराम बाथम** को कारण बताओ सूचना पत्र क्र. एफ 67-5-2008-तीन-285, दिनांक 14 मार्च 2008 को जारी कर, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी के माध्यम से दो बार दिनांक 23 अगस्त 2008 एवं 27 दिसम्बर 2008 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्रीमती गीताबाई/कल्लूराम बाथम** से जबाव (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्रीमती गीताबाई/कल्लूराम बाथम** को नोटिस दिनांक 23 अगस्त 2008 एवं 27 दिसम्बर 2008 को तामील कराया गया. अभ्यर्थी ने नोटिस की तामीली होने पर दिनांक 25 अगस्त 2008 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें संबंधित जानकारी दिनांक 23 दिसम्बर 2007 को नरवर कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने का लेख किया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी से

प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी 2011 के द्वारा लेख किया है कि अभ्यर्थी **श्रीमती गीताबाई/कल्लूराम बाथम** द्वारा सीधे राज्य निर्वाचन आयोग को दिनांक 3 सितम्बर 2008 को व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया है. **श्रीमती गीता कुशवाह** द्वारा रुपये 23,160/- का कुल व्यय किया गया है, जो निर्धारित सीमा के अन्दर है. लेकिन **श्रीमती गीताबाई** द्वारा निर्धारित समय-सीमा में व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया है एवं व्यय लेखा समयसीमा में प्रस्तुत नहीं करने का कारण, संतोषप्रद नहीं होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 27 अप्रैल 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, अभ्यर्थी **श्रीमती गीताबाई/कल्लूराम बाथम** उक्त दिवस को आयोग कार्यालय में अपने अभ्यावेदन एवं समस्त दस्तावेज सहित उपस्थित हुई. अभ्यर्थी से प्राप्त अभ्यावेदन एवं समस्त दस्तावेज की जांच कलेक्टर शिवपुरी से कराई गई. कलेक्टर शिवपुरी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 में प्रतिवेदित **श्रीमती गीताबाई/कल्लूराम बाथम** द्वारा निर्धारित समय-सीमा में व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया है, इस कारण से उन्होंने **श्रीमती गीताबाई/कल्लूराम बाथम** को निरर्ह घोषित किया जाना प्रस्तावित किया गया है. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्रीमती गीताबाई/कल्लूराम बाथम** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती गीताबाई/कल्लूराम बाथम** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत नरवर जिला शिवपुरी** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 02 वर्ष (दो वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2011

आदेश

क्र एफ 67-155-10-तीन-1286.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार **अध्यक्ष** के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार **अध्यक्ष** का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत बदनावर जिला धार** के आम निर्वाचन में **श्रीमती विमला सुभाषचन्द्र गादिया** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर पंचायत के निर्वाचन परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन का परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, **श्रीमती विमला सुभाषचन्द्र गादिया** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी धार के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धार के पत्र दिनांक 10 मार्च 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती विमला सुभाषचन्द्र गादिया** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्रीमती विमला सुभाषचन्द्र गादिया** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 18 जनवरी 2011 को जारी कर संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, धार के माध्यम से दिनांक 14 मार्च 2011को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्रीमती विमला सुभाषचन्द्र गादिया** से जबाव (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्रीमती विमला सुभाषचन्द्र गादिया** को नोटिस दिनांक 14 मार्च 2011 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक 29 मार्च 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा **श्रीमती विमला सुभाषचन्द्र गादिया** को नोटिस तामिली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया, उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला धार से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 15 अप्रैल 2011 के

द्वारा लेख किया है कि अभ्यर्थी **श्रीमती विमला सुभाषचन्द्र गादिया** द्वारा विलम्ब से लेखा प्रस्तुत करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन उनके कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 15 जुलाई 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, अभ्यर्थी **श्रीमती विमला सुभाषचन्द्र गादिया** उक्त दिवस को आयोग में उपस्थित हुई. अधोहस्ताक्षरकर्ता के प्रवास पर रहने के कारण, समक्ष में सुनवाई नहीं हो सकने पर, अभ्यर्थी को दोबारा सुनवाई हेतु बुलाये जाने का निर्णय लिया गया. तत्समय अभ्यर्थी **श्रीमती विमला सुभाषचन्द्र गादिया** ने अपना आवेदन/व्यय लेखा प्रस्तुत किया. अभ्यर्थी ने अपने आवेदन में अंकित किया है कि ''मेरे द्वारा व्यय लेखा की छायाप्रति मेरे लड़के हर्ष गादिया के द्वारा डॉक बंगले पर भिजवाया था. उसका मूल व्यय लेखा मेरे पास है. जिसे में प्रस्तुत कर रही हूं.

मेरी आर्थिक परिस्थिति एवं मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण में दूसरी बार नहीं आ सकती. ''नियमों में लेखे कलेक्टर कार्यालय में जमा करवाने का प्रावधान है, अन्यत्र नहीं. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्रीमती विमला सुभाषचन्द्र गादिया** द्वारा नियत समयावधि में मूल निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती विमला सुभाषचन्द्र गादिया** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत बदनावर जिला धार** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 02 वर्ष (दो वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा मध्यप्रदेश, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 9 अगस्त 2011

क्र. आई.एल.एफ.ए.-प्रशा-एक-5464.—मैंने दिनांक 11 जुलाई 2011 से संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण कर लिया है.

अत: संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, ग्वालियर मध्यप्रदेश को संबोधित किये जाने वाले समस्त अर्द्धशासकीय व गोपनीय पत्रादि मेरे नाम से संबोधित करने का कष्ट करें.

पंकज अग्रवाल, आई.ए.एस. संचालक.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 11 अप्रैल 2011

क्र. 04-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	चीनौर	झांकरी	1.23	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.	हिम्मतगढ़ तालाब योजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर की वितरिकाओं हेतु भूमि का अर्जन.
		योग . .	1.23		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 12-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	घाटीगांव	हुकुमगढ़	1.03	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.	हिम्मतगढ़ तालाब योजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर की वितरिकाओं हेतु भूमि का अर्जन.
		योग . .	1.03		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 30 जुलाई 2011

क्र. 22-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	चीनौर	अमरधा	6.844	कार्यपालन यंत्री, बांध सुरक्षा संभाग, जिला ग्वालियर.	अमरधा तालाब की पार एवं नहर निर्माण हेतु ग्राम अमरधा की भूमि का अर्जन.
		योग . .	6.844		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 4 अगस्त 2011

क्र. 24-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	भितरवार	रिठोंदन	4.925	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग, डबरा जिला ग्वालियर.	हरसी उच्च स्तरीय नहर निर्माण हेतु ग्राम रिठोंदन की भूमि का अर्जन.
		योग . .	4.925		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 27 जून 2011

प्र. क्र. 4-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम नम्बर (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम नम्बर (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम नम्बर (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	लटेरी	छिरारी	8.164	भू-अर्जन अधिकारी, सिरोंज	सगड मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—सगड मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, सिरोंज में किया जा सकता है.

विदिशा, दिनांक 4 अगस्त 2011

प्र. क्र. 1-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	त्योंदा	मटैना	2.278	भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा	बघरूं मध्यम— जलाशय परियोजना की बांयी तट मुख्य नहर की माइनर क्रमांक 10 हेतु भूमि का अधिग्रहण.
		योग . .	2.278		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बघरूं मध्यम परियोजना की बांयी तट नहर की माइनर नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	त्योंदा	मुड़ैना	3.355	भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा	बघरूं मध्यम— जलाशय परियोजना की बांयी तट मुख्य नहर की माइनर क्रमांक 12, 13, 14 व 15 हेतु भूमि का अधिग्रहण.
			योग . . 3.355		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बघरूं मध्यम परियोजना की बांयी तट नहर की माइनर नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 3-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	त्योंदा	सुनेटी	2.595	भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा	बघरूं मध्यम— जलाशय परियोजना की बांयी तट मुख्य नहर की माइनर क्रमांक 9 एवं 10 एवं 11 व 13/2 हेतु भूमि का अधिग्रहण.
			योग . . 2.595		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बघरूं मध्यम परियोजना की बांयी तट नहर की माइनर नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	त्योंदा	रसूलपुर	1.253	भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा	बघरूं मध्यम— जलाशय परियोजना की बांयी तट मुख्य नहर की माइनर क्रमांक 2, 3 व 4 हेतु भूमि का अधिग्रहण.
		योग . .	1.253		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बघरूं मध्यम परियोजना की बांयी तट नहर की माइनर नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	त्योंदा	बिजौरी	2.216	भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा	बघरूं मध्यम— जलाशय परियोजना की बांयी तट मुख्य नहर की माइनर क्रमांक 4, 5 एवं 6 हेतु भूमि का अधिग्रहण.
		योग . .	2.216		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बघरूं मध्यम परियोजना की बांयी तट नहर की माइनर नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 6-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	त्योंदा	बगरोदा	1.847	भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा	बघर्रू मध्यम— जलाशय परियोजना की बांयी तट मुख्य नहर की माइनर क्रमांक 7, 8 व 9 हेतु भूमि का अधिग्रहण.
		योग . .	1.847		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बघर्रू मध्यम परियोजना की बांयी तट नहर की माइनर नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 7-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	त्योंदा	त्योंदा	0.597	भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा	बघर्रू मध्यम— जलाशय परियोजना की बांयी तट मुख्य नहर की माइनर क्रमांक 1 हेतु भूमि का अधिग्रहण.
		योग . .	0.597		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बघर्रू मध्यम परियोजना की बांयी तट नहर की माइनर नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 8-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	त्योंदा	परासरी	1.673	भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा	बघरूं मध्यम— जलाशय परियोजना की बांयी तट मुख्य नहर की माइनर क्रमांक 16, 17, 19, 20 हेतु भूमि का अधिग्रहण.
		योग . .	1.673		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बघरूं मध्यम परियोजना की बांयी तट नहर की माइनर नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 9-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	त्योंदा	उकायला	1.629	भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा	बघरूं मध्यम— जलाशय परियोजना की बांयी तट मुख्य नहर की माइनर क्रमांक 16, 18, 20 व 14 हेतु भूमि का अधिग्रहण.
		योग . .	1.629		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बघरूं मध्यम परियोजना की बांयी तट नहर की माइनर नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 10-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	त्योंदा	सुमेर काछी	1.811	भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा	बघरूं मध्यम— जलाशय परियोजना की बांयी तट मुख्य नहर की माइनर क्रमांक 13/1 व 14 एवं 10 हेतु भूमि का अधिग्रहण.
		योग . .	1.811		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बघरूं मध्यम परियोजना की बांयी तट नहर की माइनर नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 11-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	त्योंदा	लहरावदा	2.920	भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा	बघरूं मध्यम— जलाशय परियोजना की बांयी तट मुख्य नहर की माइनर क्रमांक 13/1, 13/2 एवं 10 हेतु भूमि का अधिग्रहण.
		योग . .	2.920		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बघरूं मध्यम परियोजना की बांयी तट नहर की माइनर नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

विदिशा, दिनांक 5 अगस्त 2011

प्र. क्र. 12-ए-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	विदिशा	कर्राखेड़ी	6.124	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा, जिला विदिशा.	संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
		योग . .	6.124		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विदिशा, जिला विदिशा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 13-ए-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	विदिशा	सहजाखेड़ी	6.030	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा, जिला विदिशा.	संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
		योग . .	6.030		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विदिशा, जिला विदिशा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 14-ए-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	विदिशा	बंधिया	2.050	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा, जिला विदिशा.	संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
		योग . .	2.050		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विदिशा, जिला विदिशा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 30 जुलाई 2011

प्र. क्र. 7-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	पलेरा	खरौं	0.860	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा.	करियापाठा तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—करियापाठा तालाब के की नहर निर्माण हेतु ग्राम खरौं की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 8-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को

इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	पलेरा	महेबा चक्र-3	3.000	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा.	करियापाठा तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—करियापाठा तालाब की नहर निर्माण हेतु ग्राम महेबा चक्र-1 की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 9-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	पलेरा	महेबा ऊगढ़	1.960	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा.	करियापाठा तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—करियापाठा तालाब के की नहर निर्माण हेतु ग्राम महेबा ऊगढ़ की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 10-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	पलेरा	भदरई	1.500	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा.	करियापाठा तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—करियापाठा तालाब के की नहर निर्माण हेतु ग्राम भदरई की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 30 जुलाई 2011

क्र.-क-6304-प्र.भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख. नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	जमुनिया पंडित	18	6.00	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म.प्र.).	देवरी विकासखण्ड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र.-क-6305-प्र.भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख. नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	देवरी पाठक	15	4.82	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म.प्र.).	देवरी विकासखण्ड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र.-क-6306-प्र.भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख. नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	छिंदली	17	5.64	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म.प्र.).	देवरी विकासखण्ड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

सागर, दिनांक 2 अगस्त 2011

क्र.-क-प्र.भू-अर्जन-6399-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	केसली	पिपरिया	22	2.13	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन क्र. 1, सागर.	चकरा जलाशय योजना के नहर निर्माण कार्य.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—चकरा जलाशय योजना के नहर निर्माण में अर्जित की जाने वाली भूमि.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-क-प्र.भू-अर्जन-6400-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त

धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			कुल खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	केसली	पुतर्रा	33	5.19	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन क्र. 1, सागर.	चकरा जलाशय योजना के नहर निर्माण कार्य.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—चकरा जलाशय योजना के नहर निर्माण में अर्जित की जाने वाली भूमि.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बीना, दिनांक 11 अगस्त 2011

क्र.-क-6545-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार,सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			कुल खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	बीना	इटैया	13	1.751	कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग, गंजबासौदा.	रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना जिला विदिशा, मुख्य नहर का निर्माण कार्य हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, बीना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-क-6546-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			कुल खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	बीना	गौहर	29	8.200	कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग, गंजबासौदा.	रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना जिला विदिशा, मुख्य नहर का निर्माण कार्य हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, बीना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-क-6548-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	बीना	पहाखेड़ी	23	4.373	कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग, गंजबासौदा.	रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना जिला विदिशा, मुख्य नहर का निर्माण कार्य हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, बीना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-क-6549-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	बीना	हरदौट	11	2.743	कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग, गंजबासौदा.	रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना जिला विदिशा, मुख्य नहर का निर्माण कार्य हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, बीना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 1 अगस्त 2011

क्र. भू-अर्जन-11-382.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	गुलाना	मकोडी	1.91 निजी भूमि	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, विभाग शाजापुर.	मकोडी-उमरसिंगी तलाब की नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शाजापुर/भू-अर्जन अधिकारी, शाजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

शाजापुर, दिनांक 5 अगस्त 2011

क्र. भू-अर्जन-2011-225.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने क्रमांक (1) से (6) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (8) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण						धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का विवरण (हेक्टर में)				
			शासकीय	निजी	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
शाजापुर	सुसनेर	डोगरगांव	–	4.12	4.12	म.प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन.	डोगरगांव में अन्तर्राज्यीय एकीकृत जांच चौकी निर्माण हेतु.
			योग . .	4.12	4.12		

नोट—(1) अधिग्रह अधीन उपरोक्त 4.12 हेक्टर भूमि का विस्तृत विवरण संलग्नक ''क'' में है जो इस अधिसूचना का अभिन्न अंग है.

(2) भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अनुभाग सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

संलग्नक "क"

ग्राम डोंगरगांव, तहसील सुसनेर में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, उज्जैन द्वारा एकीकृत जांच चौकी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि का विस्तृत विवरण निम्नवत् है :—

भूमि सर्वे नम्बर	रकबा
(1)	(2)
344 में से	0.20
338 में से	0.61
336 में से	0.51
333 में से	0.19
335 में से	0.04
304	0.21
309	0.95
308	0.22
307 में से	0.07
342 में से	0.61
332 में से	0.05
310 में से	0.20
311 में से	0.26
कुल योग . .	4.12

क्र. भू-अर्जन-2011-227-**संशोधित अधिसूचना**.—कलेक्टर शाजापुर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के क्रमांक/भू-अर्जन-2011-140, दिनांक 25 मई 2011 के द्वारा संलग्न अनुसूची के पद क्रमांक (3) से (6) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (8) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना होने से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी गई है. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ, इन्दौर द्वारा याचिका क्र. 4628/11 में पारित आदेश दिनांक 8 जुलाई 2011 के परिप्रेक्ष्य में अधिग्रहण अधीन अनुसूची के कॉलम नं. (5) व (6) में वर्णित भूमि को भू-अर्जन में विलोपित किया जाता है :—

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण						धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का विवरण (हेक्टर में)				
			क्र.	भूमि सर्वे क्र.	रकबा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
शाजापुर	सुसनेर	डोगरगांव	1	101	0.26	म.प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन.	डोगरगांव में अन्तर्राज्यीय एकीकृत जांच चौकी निर्माण हेतु.
			2	107	0.04		
			3	106	0.91		
			4	105/1	1.33		
			5	256	0.46		
			6	282	0.70		
			7	283	0.85		
				योग . .	4.55		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शेखर वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 2 अगस्त 2011

प्र. क्र. 12 अ-82-वर्ष 2010-2011-भू-अर्जन-5880.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	सेन्द्रया	19.070	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	सेन्द्रया लघु जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 14 अ-82-वर्ष 2010-2011-भू-अर्जन-5879.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	लाखापुर	3.154	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	सेन्द्रया लघु जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 19 अ-82-वर्ष 2010-11-भू-अर्जन-5881.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	सोनोरा	0.873	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	खड़ आमला लघु जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

बैतूल, दिनांक 4 अगस्त 2011

प्र. क्र. 5 अ-82-वर्ष 2010-11-भू-अर्जन-5923.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	बुकाखेड़ी	66.255	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	बघोली लघु जलाशय बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 6 अ-82-वर्ष 2010-11-भू-अर्जन-5927.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	करपा	18.464	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	करपा लघु जलाशय बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 7 अ-82-वर्ष 2010-11-भू-अर्जन-5926.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	बघोली	11.389	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	बघोली लघु जलाशय बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 15 अ-82-वर्ष 2010-11-भू-अर्जन-5928.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	हिरड़ी	19.622	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	बोरगांव जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 16 अ-82-वर्ष 2010-11-भू-अर्जन-5924.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	बोरगांव	1.442	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	बोरगांव जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई तथा कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 22 अ-82-वर्ष 2011-भू-अर्जन-5925.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	घाना	8.371	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	झिरी लघु जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 2 अगस्त 2011

क्र. 1229-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	मानपुर	रोहनिया	4.954	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र.-1, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 10 अगस्त 2011

प्र.क्र. 1-अ-82-2010-2011-क्र. 199-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मन्दसौर	सीतामऊ	1. नाटाराम	4.570	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मन्दसौर (म.प्र.).	कोटेश्वर तालाब के डूब क्षेत्र हेतु.
		2. कोडिया (शिवगढ)	1.860		
		3. खोती	1.32		
		4. मुहाल नाटाराम	9.660		
		5. कम्माखेडी	83.22		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड सीतामऊ, जिला मन्दसौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 10 अगस्त 2011

क्र. 12637-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	खिलचीपुर	पानखेड़ी	1.125	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	कटारमलजी तालाब के निर्माण में बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु आ रही भूमि का अर्जन.
		मेहराजपुरा	11.514		
		कुल योग . .	12.639		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर-जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजगढ़, दिनांक 11 अगस्त 2011

क्र. 12684-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	खिलचीपुर	पानखेड़ी	0.640	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	चांद तलाई तालाब की नहर निर्माण हेतु आ रही भूमि का अर्जन.
		कुल योग . .	0.640		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर/जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 12691-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	खिलचीपुर	मुण्डला	1.970	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	अताईखेड़ तालाब नहर (तहसील खिलचीपुर) के निर्माण में भूमि का अर्जन.
		कुल योग . .	1.970		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 12699-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	खिलचीपुर	गूमानीपुरा	0.813	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	पानखेड़ी तालाब की नहर निर्माण हेतु आ रही भूमि का अर्जन.
		बोरखेड़ी	0.365		
		पानखेड़ी	0.931		
		मन्नीपुरा	0.778		
		कुल योग . .	2.887		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर/जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 12701-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	जीरापुर	लक्ष्मीपुरा	5.133	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	विलोड़ा तालाब की नहर निर्माण हेतु आ रही भूमि का अर्जन.
		खेड़ी	1.996		
		लिम्बोदा	3.506		
		कुल योग . .	10.635		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर/जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 22 जुलाई 2011

क्र. 880-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन— (म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—मैहर

(ग) नगर/ग्राम—कल्याणपुर

(घ) क्षेत्रफल—6.513 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अधिग्रहीत होने वाला रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
64	0.144
66/1	0.044
66/2	0.066
68	0.099
67	0.094
73	0.188
87/1	0.114
87/2	0.025
89	0.268
92	0.024
90	0.107
375/1	0.138
377/1/2	0.218
377/1/1	0.003
510/1	0.111
510/2	0.122
509	0.170
506	0.182
502	0.001
507	0.001
500	0.078
501	0.085
499/2	0.008
503/1	0.005
492/2 Kha	0.150
492/2 Ka	0.136
493/2	0.025
494	0.243
495	0.004
484	0.133
33/1	0.048
33/2	0.052
132/16	0.227
132/13	0.150
132/20	0.087
132/21	0.067
132/17	0.030
132/22	0.033
132/23	0.284
132/29	0.345
132/25	0.121
132/9	0.216
131/2	0.264
130/1	0.137
128/1	0.082
128/2	0.010
153/1 Kha/1	0.146
153/1 Kha/3	0.066
153/1 Kha/10	0.117
153/1 Kha/7	0.138
155/1	0.167
179/1	0.146
179/3	0.155
178/3	0.014
175/1	0.128
177/1	0.009
176	0.038
175/2Ka	0.243
412/2	0.007
योग :	6.513

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 30 जुलाई 2011

क्र. 1201-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इंदौर, संभाग इंदौर के पत्र क्रमांक 206-5-कोर्ट-11, इंदौर, दिनांक 07 मार्च 2011 से अधिनियम की धारा 17 (1) सह 17 (4) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—बड़वाह

(ग) ग्राम—सनावद

(घ) क्षेत्रफल—5.319 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
397/1	0.737
403/1	0.064
402/3	0.169
402/4	0.360
405/2	0.218
405/3	0.380
682/1	0.549
685	0.040
686	0.510
688	0.607
689	0.405
682/2	0.233
402/5	0.041
635/5	0.485
635/3, 635/7	0.377
635/28	0.022
635/30	0.022
635/33	0.022
635/34	0.022
635/41	0.044
635/16	0.012
कुल योग :	5.319

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बडवाह-सनावद बायपास मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बडवाह तथा संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड, ओल्ड पलासिया इंदौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 2 अगस्त 2011

प्र. क्र. 01-अ-82-2010-11-414.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—देवास

(ख) तहसील—सतवास

(ग) ग्राम—कांटाफोड़

(घ) क्षेत्रफल—0.500 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
57 पै.	0.010
58 पै.	0.010
60 पै.	0.004
62 पै.	0.004
63/1 पै.	0.004
63/1 पै.	0.004
64 पै.	0.010
68 पै.	0.020
69 पै.	0.020
109/1	0.050
109/2	0.022
109/3	0.021
109/4	0.021
117/1 पै.	0.036

(1)	(2)
117/2 पै.	0.056
119/1 पै.	0.032
121 पै.	0.030
124 पै.	0.022
127 पै.	0.032
129/2	0.032
130/1 पै.	0.060
योग :	0.500

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—काटांफोड़ से पुंजापुरा सड़क निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कन्नौद तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, देवास के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 02-अ-82-2010-11-396.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—देवास

(ख) तहसील—सतवास

(ग) ग्राम—गोदना

(घ) क्षेत्रफल—6.32 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
391/1	0.09
391/2	0.04
392/1	0.04
392/2	0.12
233	0.04
234	0.25
235	0.24
385	0.12
384	0.02
390	0.08
236	0.20
382	0.10
381	0.06
380	0.06
237	0.29
246	0.20
379	0.04
378/1	0.08
378/2	0.08
159	0.08
158	0.32
157	0.30
156	0.01
122	0.10
92/3	0.02
123/1	0.04
92/1	0.03
92/2	0.08
120	0.08
124	0.12
126	0.40
109	0.08
107	0.08
94	0.16
110	0.13
91	0.12
87	0.10
88	0.16
105	0.12
104	0.08
103/1	0.04
103/2	0.06
103/3	0.06
101	0.10
75/1	0.09
75/3	0.15
75/2	0.07
75/4	0.11
102	0.24
74	0.12
100	0.08
99	0.20
96/1	0.01
96/3	0.07
97	0.08
98/1	0.08
योग :	6.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—काटांफोड़ से पुंजापुरा सड़क निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कन्नौद तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, देवास के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-2010-11-408—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—देवास

(ख) तहसील—सतवास

(ग) ग्राम—सिंगोडा

(घ) क्षेत्रफल—3.54 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
157	0.08
156	0.40
72/2	0.02
155	0.18
72/1	0.02
63/1	0.24
148	0.16
144/1	0.04
144/2	0.28
78	0.01
138	0.08
166	0.07
160/1	0.32
86	0.04
25	0.04
141	0.25
31	0.01
83	0.01
56/1	0.14
55	0.10
47	0.01
48	0.20
44/1	0.05
45	0.05
44/2	0.05
75	0.02
74	0.01
64	0.04
65	0.04
66	0.04
71	0.02
73	0.01
34	0.11
28	0.01
27	0.01
77	0.04
82	0.01
24	0.04
12	0.04
16	0.08
15	0.06
14	0.11
	योग : 3.54

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—काटांफोड़ से पुंजापुरा सड़क निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कन्नौद तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, देवास के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 04-अ-82-2010-11-402.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—देवास

(ख) तहसील—सतवास

(ग) ग्राम—कानड़ा

(घ) क्षेत्रफल—5.63 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
295	0.08
296	0.45
317	0.08
341	0.14
340/1	0.07
340/3	0.07
340/4	0.13
339/2	0.09
340/5	0.01
339/1	0.05
339/6	0.02
339/5	0.12
319	0.19
320	0.11
314	0.06
315	0.12
316/2	0.13
238/2	0.04
322/1	0.08
322/2	0.12
107	0.20
312/4	0.20
240	0.24
110	0.04
109	0.16
105/1	0.12
105/2	0.14
112	0.17
114	0.20
130	0.17
131	0.20
90	0.10
89/1	0.29
89/2	0.03
72	0.26
73	0.25
146	0.24
68	0.14
67/2	0.14
148	0.18
योग	: 5.63

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—काटांफोड़ से पुंजापुरा सड़क निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कन्नौद तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, देवास के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश चन्द्र गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 4 अगस्त 2011

प्र. क्र. 15-अ-82 वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संपत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दमोह

(ख) तहसील—बटियागढ़

(ग) नगर/ग्राम—आलमपुर, खड़ैरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—26.64 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम—आलमपुर	
77 में से	0.10
83	0.18
104/1	0.23
78	0.08
79 में से	0.06
100	0.08
101	0.04
80 में से	0.13
81	0.12
82	0.13
102	0.06

(1)	(2)
84/1(ख)	0.18
160/1(ख)	0.02
84/1(ग)	0.18
84/2(क) में से	0.09
105/2	0.21
114	0.06
160/2(क)	0.03
84/2(क)	0.16
84/2(ग) में से	0.08
160/2 (ख)	0.06
85 में से	0.10
136	0.09
139	0.17
141	0.28
88 में से	0.03
89 में से	0.03
90 में से	0.08
91	0.10
92 में से	0.10
93 में से	0.13
94	0.11
95	0.09
96	0.08
97	0.08
98	0.05
99	0.07
103	0.05
102	0.06
104/2	0.23
105/1	0.20
107	0.03
108	0.06
109	0.05
110	0.10
111	0.03
112	0.03
115	0.06
116	0.06
117	0.06
119	0.30
129	0.13
133	0.03
135	0.20
146	0.36

(1)	(2)
120	0.26
121	0.10
124	0.04
144	0.24
122	0.20
125 में से	0.04
132	0.23
123	0.52
131	0.24
126	0.04
143	0.20
127	0.10
145	0.11
128	0.25
130	0.27
134	0.10
137	0.22
138	0.05
140	0.18
142/1	0.23
142/2	0.23
147 में से	0.55
148	0.16
149	0.28
149/2	0.08
150 में से	0.08
155/3 में से	0.08
158 में से	0.12
159/1	0.14
162 में से	0.15
166/1 में से	0.06
159/2	0.10
160/1 (क)	0.06
160/1085	0.06
161	0.21
163	0.04
164 में से	0.11
165/1 में से	0.02
166/2 में से	0.08
कुल निजि भूमि :	12.14

(1)	(2)
आलमपुर नहर	
212 में से	0.30
205	0.05
204	0.05
203 में से	0.05
262 में से	0.30
261 में से	0.15
259 में से	0.15
258 में से	0.15
256 में से	0.10
257 में से	0.05
268 में से	0.20
489 में से	0.25
327/1 में से	0.21
558/1 में से	0.09
558/3	0.09
588/2 में से	0.05
557/1 में से	0.11
557/2 में से	0.11
553 में से	0.05
555 में से	0.18
537 में से	0.05
556/1 में से	0.05
536 में से	0.10
534 में से	0.07
535 में से	0.09
533 में से	0.05
522 में से	0.36
521/2 में से	0.10
521/1 में से	0.09
509/1 में से	0.15
507 में से	0.19
506 में से	0.35
505 में से	0.19
500 में से	0.10
499 में से	0.30
498 में से	0.08
495/2 में से	0.10
495/1 में से	0.10
496/2 में से	0.20
496/1 में से	0.16
कुल निजि भूमि	: 5.57

(1)	(2)
ग्राम—खड़ैरी	
484/1 में से	0.20
480 में से	0.12
481 में से	0.18
479 में से	0.16
477 में से	0.12
478/2 में से	0.05
478/3 में से	0.36
468/1 में से	0.06
468/2 में से	0.18
518/1 में से	0.32
625 में से	0.44
487/1	0.34
488	0.38
487/2	0.35
489/1 में से	0.20
511/4 में से	0.26
511/8/10/11 में से	0.05
626 में से	0.36
624 में से	0.25
622 में से	0.20
621/1 में से	0.50
614/2	0.04
614/1 में से	0.52
613 में से	0.17
607/2 में से	0.43
606 में से	0.08
605/2 में से	0.11
607/1 में से	0.02
605/1 में से	0.08
584 में से	0.07
585 में से	0.08
582 में से	0.23
578 में से	0.26
579 में से	0.11
580 में से	0.09
575 में से	0.09
511/6-7 में से	0.04
511/5 में से	0.09
511/12 में से	0.07
511/1 में से	0.05
511/2 में से	0.05
513 में से	0.30

(1)	(2)
514/2 में से	0.02
514/1 में से	0.35
515/2 में से	0.50
निजी भूमि	8.93
आलमपुर योग :	17.71
खड़ैरी योग :	8.93
महायोग :	26.64

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—आलमपुर जलाशय योजना एवं नहर के अर्जन में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग, दमोह, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है.

प्र. क्र. 15-अ-82 वर्ष 2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संपत्ति की, अनुसूची के पद में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दमोह

(ख) तहसील—बटियागढ़

(ग) नगर/ग्राम—फतेहपुर, खैरीरामदास, नीमी, लुधनी लिधौरा हारट

(घ) लगभग क्षेत्रफल—26.35 हेक्टर.

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
ग्राम—फतेहपुर	
204 में से	0.08
201/5 में से	0.02
203/5 में से	0.23
201/6 में से, 203/6 में से	0.28
200/3 में से, 201/3 में से	0.04
201/2 में से	0.12
202/4 में से	0.28
202/3 में से	0.12
202/2 में से	0.01
353 में से	0.22
360/5 में से	0.40
366/1 में से	0.02
366/2 में से	0.04
366/3 में से	0.02
367/1 में से	0.14
367/2 में से	0.14
369/1 में से	0.22
551/ में से	0.17
552/1 में से	0.05
552/2 में से	0.12
553/1182/2 में से	0.21
590 में से	0.17
591 में से	0.14
589 में से	0.13
595 में से	0.15
598/1 में से	0.14
806 में से	0.08
600 में से	0.01
803/3 में से	0.02
803/2 में से	0.18
805 में से	0.07
830/1 में से	0.16
827 में से	0.07
807 में से	0.05
808 में से	0.07
809/1 में से	0.08
810/1 में से	0.03
810/2 में से	0.03
812 में से	0.03
815/1 में से	0.08
816 में से	0.01
831/2 में से	0.01
786/1 में से	0.06
786/2 में से	0.07
785 में से	0.04
784 में से	0.08
781 में से	0.18

(1)	(2)
782 में से	0.03
770/1 में से	0.04
770/2 में से	0.03
771/1 में से	0.02
771/2 में से	0.02
226 में से	0.14
229 में से	0.04
230/2 में से	0.14
230/3 में से	0.16
230/4 में से	0.02
308 में से	0.04
309/1 में से	0.02
309/2 में से	0.02
310 में से	0.08
316 में से	0.09
312 में से	0.08
314 में से	0.12
344 में से	0.16
342 में से	0.06
334 में से	0.14
332 में से	0.09
400/3 में से	0.04
429/2 में से	0.16
429/1 में से	0.07
429/3 में से	0.15
463/2 में से	0.14
463/1 में से	0.16
424/1 में से	0.02
424/2 में से	0.02
423 में से	0.09
421 में से	0.15
415 में से	0.19
394 में से	0.07
414 में से	0.10
413 में से	0.12
410 में से	0.10
411 में से	0.16
404/1 में से	0.12
404/2 में से	0.12
404/3 में से	0.12
404/4 में से	0.12
401 में से	0.28
513 में से	0.12
514/1 में से	0.09
514/2 में से	0.09
959 में से	0.08
1012/1-2 में से	0.01
1014 में से	0.11
1015/2 में से	0.12
1013/1 में से	0.08
1013/2 में से	0.07
1030/2 में से	0.06
1027/1 में से	0.14
1027/2 में से	0.14
1039 में से	0.21
1038/1 में से	0.23
1078/1 में से	0.08
1078/2 में से	0.08
1080 में से	0.15
1081/1 में से	0.01
1081/2 में से	0.13
1088 में से	0.17
1086/2 में से	0.29
1104 में से	0.12
1105 में से	0.14
1106 में से	0.08
1107/1 में से	0.12
1107/2 में से	0.12
1121 में से	0.14
1123 में से	0.02
1122 में से	0.08
1128 में से	0.18
1149/1 में से	0.14
1148/2 में से	0.12
1148/1 में से	0.09
1152/2 में से	0.18
1152/1 में से	0.16
1153/1 में से, 1153/2 में से	0.21
1156 में से	0.32
कुल निजी भूमि :	13.79

ग्राम—खैरी रामदास

129 में से	0.1
127 में से	0.04
128/1 में से	0.02
53 में से	0.02

(1)	(2)
55/6 में से	0.06
55/3 में से	0.01
55/5 में से	0.10
56 में से	0.16
57/1 में से	0.06
100 में से	0.10
101/1 में से	0.01
101/2 में से	0.06
104 में से	0.06
105/2 में से	0.09
105/3 में से	0.01
107/2 में से	0.06
105/1 में से	0.01
103 में से	0.01
कुल निजी भूमि—	0.98

ग्राम—नीमी

142 में से	0.18
143 में से	0.06
270 में से	0.01
271 में से	0.15
269 में से	0.23
293/1 में से	0.06
293/2 में से	0.06
294 में से	0.15
261/1 में से	0.05
298 में से	0.13
299 में से	0.18
297/402 में से	0.14
300/1 में से	0.05
300/2 में से	0.06
302 में से	0.21
329/2 में से	0.21
328/3 में से	0.13
327 में से	0.12
326 में से	0.26
309/1 में से	0.16
309/2 में से	0.15
323 में से	0.17
324/1 में से	0.58
324/2 में से	0.58
346/1 में से	0.10
346/2 में से	0.09
345/2 में से	0.02

(1)	(2)
345/1 में से	0.02
342 में से	0.34
344 में से	0.10
337/2 में से	0.23
337/1 में से	0.23
336 में से	0.14
381/1 में से	0.14
381/2 में से	0.12
381/3 में से	0.14
381/4 में से	0.14
394/1 में से	0.08
394/2 में से	0.12
398 में से	0.19
396 में से	0.16
380 में से	0.04
कुल निजी भूमि—	6.48

ग्राम—लुधनी

348/1 में से	0.52
381 में से	0.19
380/1 में से	0.04
379 में से	0.01
380/2 में से	0.04
350/1 में से	0.16
350/4 में से	0.17
351 में से	0.14
360 में से	0.16
359/2 में से	0.02
361/4 में से	0.12
362 में से	0.08
363/2 में से	0.08
365 में से	0.12
385/1 में से	0.15
कुल निजी भूमि—	2.00

ग्राम—लिधोरा हारट

582 में से	0.14
580 में से	0.07

(1)	(2)
581 में से	0.04
590 में से	0.22
603 में से	0.20
606 में से	0.16
591/1 में से	0.02
591/2 में से	0.03
607 में से	0.02
598 में से	0.12
565/1 में से	0.02
564 में से	0.10
422/1 में से	0.11
422/2 में से	0.10
424/2 में से	0.18
421 में से	0.03
432 में से	0.08
433 में से	0.03
442 में से	0.16
443 में से	0.02
444 में से	0.03
445 में से	0.01
446 में से	0.10
447 में से	0.05
464 में से	0.10
465.00 में से	0.30
503 में से	0.02
504 में से	0.24
483 में से	0.08
496 में से	0.05
497 में से	0.02
495 में से	0.1
491/1 में से	0.15
कुल निजी भूमि	3.10
फतेहपुर+खैरीरामदास+नीमी+ लुधनी+लिधौरा हारट-महायोग :	26.35

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—फतेहपुर जलाशय योजना की नहर के अर्जन में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग, दमोह, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 19-अ-82 वर्ष 2009-2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संपत्ति की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दमोह

(ख) तहसील—हटा

(ग) नगर/ग्राम—मझगुवां अमान, हिनमतपटी, हिनौता

(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.16 हेक्टर.

खसरा नम्बर में से (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
ग्राम—मझगुवां अमान	
82/1 में से	0.08
292/1 में से	0.01
87/2 में से	0.03
121/1 में से	0.02
300 में से	0.20
264/1 में से	0.05
295/1 में से	0.12
140/1 में से	0.08
295/2 में से	0.04
140/2 में से	0.05
294 में से	0.16
293 में से	0.03
362 में से	0.12
364 में से	0.12
286 में से	0.06
365 में से	0.06
366 में से	0.01
367 में से	0.06
368 में से	0.14
274 में से	0.03
348 में से	0.12

(1)	(2)
273 में से	0.09
157/1 में से	0.08
268 में से	0.05
267 में से	0.05
264/2 में से	0.05
299/2 में से	0.06
290 में से	0.08
109 में से	0.03
292/2 में से	0.02
295/3 में से	0.08
291 में से	0.09
101/1 में से	0.31
112/2 में से	0.13
111/1 में से	0.08
115 में से	0.05
110 में से	0.03
157/2 में से	0.12
158/1 में से	0.18
138 में से	0.07
315 में से	0.15
312 में से	0.04
314 में से	0.21
332/1 में से	0.08
332/2 में से	0.08
331 में से	0.13
329/1 में से	0.06
329/2 में से	0.31
328 में से	0.30
326/1 में से	0.09
326/2 में से	0.09
346 में से	0.21
351/1 में से	0.10
351/2 में से	0.05
351/3 में से	0.06
351/4 में से	0.03
296 में से	0.06
योग	: 5.29

ग्राम—हिनमतपटी

4/2 में से	0.20
6 में से	0.07
8/1 में से	0.10
8/2 में से	0.09
9/4 में से	0.10
11/2 में से	0.04
21/2 में से	0.02
21/1 में से	0.16
41 में से	0.14
142/1 में से	0.19
149/1 में से	0.04
149/2 में से	0.07
योग	: 1.22
976/1 में से	0.08
984/1 में से	0.15
984/2 में से	0.15
986 में से	0.27
योग	: 0.65
महायोग	: 7.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—पिपरिया जलाशय योजना की नहर के अर्जन में आने वाली भूमि के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री,पंचमनगर सर्वे संभाग दमोह, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवानंद दुबे, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 4 अगस्त 2011

क्र. 1244-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा,

घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—हुजूर

(ग) नगर/ग्राम—पुतरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.020 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
309	0.020
योग . .	0.020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना बोदा वितरक नहर की टिकुरी शाखा नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 8 अगस्त 2011

क्र. भू-अर्जन-2011-230.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम की धारा 17 (3) के प्रावधान राज्य शासन द्वारा लागू किये गये हैं:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शाजापुर

(ख) तहसील—सुसनेर

(ग) ग्राम का नाम—डोंगरगांव

(घ) अर्जित भूमि का क्षेत्रफल—4.12 हेक्टर.

भूमि सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
344 मे से	0.20
338 मे से	0.61
336 मे से	0.51
333 मे से	0.19
335 में से	0.04
304	0.21
309	0.95
308	0.22
307 मे से	0.07
342 मे से	0.61
332 मे से	0.05
310 मे से	0.20
311 मे से	0.26
कुल रकबा	: 4.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ग्राम डोंगरगांव तहसील सुसनेर में म. प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन द्वारा एकीकृत जांच चौकी का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, अनुभाग सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शेखर वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 10 अगस्त 2011

प्र. क्र. 39-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—गौरिहार

(ग) ग्राम—चुकाटा

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—1.873 हेक्टर.

भू-अर्जन खसरा विवरण से भूखण्डों की संख्या	खसरे का क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
13/1	0.008
13/2	0.160
15	0.136
16/2	0.012
19	0.104
20	0.159
27	0.100
28	0.078
36	0.066
37	0.126
49/1	0.092
49/2	0.006
50	0.007
67/1	0.019
67/2	0.132
68	0.144
73	0.179
75	0.165
76	0.008
82	0.172
योग . .	1.873

(2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की चुकाटा वितरक नहर एवं हरवंशपुर माइनर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लौंड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 52-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—गौरिहार

(ग) ग्राम—हरवंशपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी भूमि 2.837 हेक्टर.

भू-अर्जन खसरा विवरण से भूखण्डों की संख्या	खसरे का क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
29/1	0.008
61	0.158
90	0.101
91	0.253
94/1	0.086
94/4	0.030
94/5	0.086
95/1	0.100
95/2	0.014
96/1	0.036
104	0.010
105	0.090
106	0.200
144	0.024
211	0.120
212	0.115
213	0.110
214	0.112
215	0.074
216	0.055
286	0.140
287	0.170
291	0.125
292	0.150
293	0.105
294	0.125
295	0.030
297	0.170
300	0.028
305	0.012
कुल अर्जित रकबा . .	2.837

(2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की चकखडेहा वितरक नहर की महोईकला द्वितीय एवं हरवंशपुर द्वितीय और चुकाटा वितरक नहर की हरवंशपुर माइनर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 85-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—चन्दला
(ग) ग्राम—चन्दला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी भूमि 16.155 हेक्टर.

भू-अर्जन खसरा विवरण से भूखण्डों की संख्या (1)	खसरे का क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
चंदला माइनर नं. 2	
130	0.200
142	0.020
144	0.032
145	0.001
163/2	0.024
165	0.079
169/1	0.040
169/2	0.036
174/1/1	0.015
174/1/2	0.019
174/2	0.044
199/1	0.097
200/1/1ख	0.015
200/1/1क	0.024
200/1/1ग	0.020
योग . .	0.666
चंदला माइनर नं. 3	
839	0.002
1150	0.036
1152	0.240
1153	0.109
1155	0.012
1163	0.486
2717	0.009
2783	0.546
2787/1	0.036
2787/2	0.111
2790	0.002
2796/1	0.084
2797/1	0.106
2797/2	0.138
2798	0.202
2799	0.067
2807	0.100
2821	0.129
2822/1	0.072
2822/2	0.066
2824	0.114
2825	0.032
2826	0.024
2827	0.142
2828	0.092
2832/1/2	0.086
2832/2	0.074
2833	0.113
2834	0.004
2837/1	0.074
2837/2	0.078
2838	0.065
2839	0.162
2840	0.024
2842	0.074
2844/2	0.061
2846/2	0.024
2848/2	0.009
3304	0.108
3307	0.117
3349/2	0.234
3351	0.019
3375	0.072
3376	0.093
3377	0.040
3378	0.090
3396	0.050
3397/1	0.216
3397/2	0.045
3398	0.002
3399	0.012
3411	0.028
3414	0.138
3415	0.004

(1)	(2)
3416	0.002
3417	0.105
3430	0.032
3432	0.156
3436	0.096
3437	0.017
3438	0.199
3439	0.048
3440/2/1	0.063
3440/2/2	0.063
3445/1	0.146
3445/2	0.026
3446	0.014
योग . .	6.640

चंदला सब-माइनर नं. 1

1154/1	0.038
1154/2	0.028
1154/3	0.044
1159/1	0.004
1160/1	0.035
1161/2/1	0.022
1176/1	0.086
1176/2	0.067
1206	0.131
1207/1	0.099
1209	0.123
1212	0.075
1227	0.044
1228/1	0.052
1229	0.020
1230	0.179
1243	0.038
1244	0.025
1245	0.054
1252	0.018
2730	0.025
2751	0.004
2752	0.099
योग . .	1.310

चंदला सब-माइनर नं. 2

2866	0.172
2868	0.105
2869	0.003
2870	0.012
2871	0.133
2872	0.006
2873	0.046
2874/2	0.060
2875/1	0.045
2875/3	0.107
2878	0.112
2879	0.026
2880	0.051
3163	0.064
3164/1	0.133
3164/2	0.051
3167/2	0.118
3226	0.048
3227	0.070
3228	0.003
3230	0.057
3231	0.134
3241	0.048
3242	0.029
3248	0.008
3249	0.110
3253	0.125
3255	0.019
3257	0.086
3289	0.009
3369/2	0.009
3444/2	0.020
3445/2	0.038
योग . .	2.057

हर्राई माइनर

3741	0.108
3750	0.010
3755	0.016
3756	0.102
3758	0.194
3759	0.076
3760	0.132
3765	0.126
3771/1	0.066
3771/2	0.051
3772/2	0.222
3773/2	0.200
3826/3771	0.078
योग . .	1.381

हर्राई माइनर की सब-माइनर

3681	0.002
3682/2	0.065

(1)	(2)
3684/1	0.038
3684/2	0.064
3691	0.064
3693/1	0.012
3693/2	0.024
3703/1	0.077
3707	0.007
3708	0.067
3709	0.040
3710	0.028
योग . .	0.488
कुल योग . .	11.942

ब्यास बदौरा वितरक नहर

285/3 में से, 635/1	0.300
285/3 में से, 635/2	0.165
287/2/1, 285/4/1	0.048
287/2, 285/4/2	0.135
287/3	0.155
287/4	0.095
298/1	0.288
298/3	0.090
299	0.150
300	0.079
301	0.014
308	0.009
310/1	0.263
310/2	0.210
311/1	0.045
312/2	0.030
315	0.005
318/1	0.059
318/2	0.106
319/1	0.145
319/2	0.135
504	0.082
509	0.012
510/1	0.158
511	0.148
525/1	0.140
526/1	0.115
527	0.165
528	0.105
557/1	0.138
557/2	0.082
615	0.078
636	0.199
637	0.015
638	0.250
योग . .	4.213

(2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर से चंदला वितरक नहर की चंदला माइनर नं. 2, चंदला माइनर नं. 3, चंदला सब-माइनर नं. 1, 2 हर्राई माइनर, हर्राई सब-माइनर एवं ब्यास बदौरा वितरक नहर के भू-अर्जन हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 91-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयेजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—छतरपुर
- (ख) तहसील—गौरिहार
- (ग) ग्राम—धावा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी भूमि—4.065 हेक्टर.

भू-अर्जन खसरा विवरण से भूखण्डों की संख्या	खसरे का क्षेत्रफल अर्जित (हेक्टर में)
(1)	(2)
4	0.457
5/1	0.066
5/2	0.207
6	0.002
8	0.159
9	0.078
10	0.150

(1)	(2)
11	0.030
35/2	0.127
91	0.116
92	0.200
93	0.032
102/1	0.168
102/2	0.108
103/1	0.074
104/1	0.002
105/1	0.248
105/2	0.214
157/1/1/10	0.126
157/1/2/2/2	0.085
301	0.106
302	0.088
349/1/3	0.208
349/3	0.204
349/4	0.160
349/6	0.140
349/8	0.080
363	0.028
364	0.078
365/1	0.044
366	0.124
367	0.112
369	0.016
426/105	0.028
योग . .	4.065

(2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की चुकाटा वितरक नहर एवं धावा माइनर एवं पचवरा वितरक नहर की धावा माइनर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लौंड़ी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 11 अगस्त 2011

प्र. क्र. 5-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—बीना
(ग) ग्राम—मूडरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.140 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
109	0.160
83	0.053
100	0.198
110/2	0.880
101/3	0.223
101/2	0.495
101/1	0.124
103/2	0.124
102/2	0.248
102/1	0.526
103/1	0.109
कुल योग . .	3.140

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग गंजबासौदा रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना जिला विदिशा के मुख्य नहर का निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, बीना एवं जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 6-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—बीना
(ग) ग्राम—पिपरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.553 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
46	0.045
75	0.034
140	0.070
45	0.252
48/2	0.135
48/1	0.120
50	0.036
51	0.002
53/1	0.050
53/2	0.327
54	0.343
57	0.030
56	0.460
65	0.032
66	0.627
79	0.034
80	0.103
78/2	0.217
138	0.377
139	0.412
141	0.470
142/3	0.377
कुल योग . .	4.553

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग गंजबासौदा रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना जिला विदिशा के मुख्य नहर का निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, बीना एवं जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 7-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—बीना
(ग) ग्राम—सनाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.815 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
384/1	0.260
373	0.171
378/10	0.266
378/14	0.152
378/13	0.248
378/15	0.152
378/16	0.190
384/2	0.133
384/3	0.171
354/2	0.020
356	0.028
357	0.310
354/1	0.150
352/1	0.594
352/2	0.470
302	0.500
कुल योग . .	3.815

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग गंजबासौदा रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना, जिला विदिशा के मुख्य नहर का निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, बीना एवं जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मन्दसौर, दिनांक 16 अगस्त 2011

क्र. 2024-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र. 01-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई

अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मंदसौर

(ख) तहसील—दलौदा

(ग) नगर/ग्राम—नंदावता/पिपलखेड़ी/चौसला

(घ) लगभग क्षेत्रफल—32.25 हेक्टर.

नंदावता	4.27
पिपलखेड़ी	0.36
चौसला	27.62

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम—नंदावता	
1387	0.28
1388	0.16
1389	0.16
1390/1	0.14
1390/2	0.32
1390/3	0.44
1391	2.24
1392/3	0.07
1399/3	0.02
1401	0.44
योग . .	4.27
ग्राम—पिपलखेड़ी	
21	0.08
20	0.03
145/1	0.05
150	0.12
151	0.04
152	0.01
154	0.03
योग . .	0.36
ग्राम-चौसला	
613	0.06
611	0.05
610	0.05
609	0.04
608	0.06
590	0.01
592	0.01
591	0.16
259	0.14
246	0.01
268	0.03
257	0.04
274	0.01
273	0.09
272/1	0.11
371/1	0.03
371/2	0.03
371/3	0.08
369	0.02
368	0.14
355	0.06
352	0.09
354	0.04
353	0.04
342	0.11

(1)	(2)
343	0.04
344	0.03
340/1	0.18
338	0.15
421	0.19
422	0.06
332	0.09
329	0.05
321/4	0.23
324	0.03
616	0.89
614	0.41
210	0.30
615	0.63
618	1.05
197	2.80
582	1.90
583	1.06
612	0.18
613	0.30
623	0.29
665	0.93
664/3	0.50
664/2	0.50
664/1	0.50
667	0.90
668	0.37
670	0.40
676/1	0.50
676/2	0.50
677	0.60
678	0.03
624	0.12
617	1.05
620	0.63
621	0.30
622	0.30
584	0.18
193/1	0.50
193/2	0.50
193/3	0.50
196	2.62
199	1.00
200/1	0.57
200/2	0.56
611	0.22
191	0.47
योग . .	27.62
कुल योग . .	32.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—चौसला तालाब एवं नहर निर्माण के लिए.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड मंदसौर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मंदसौर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 3 अगस्त 2011

क्र. 1087-गोपनीय-2011-दो-15-36-99.—पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में दो दिवसीय कार्यशाला "Key Issues and Challenges under Labour Laws", जो दिनांक 3 से 4 सितम्बर 2011 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 3 सितम्बर 2011 को प्रात:काल ठीक 09.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:—

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़ कर कोई भी पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, कार्यशाला कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो उसे रजिस्ट्रार जनरल को तथा उसकी एक प्रति संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर को बिना किसी विलंब के भेजा जावे, जिससे कि संचालक उस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर सकें.

2. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 3 सितम्बर 2011 को प्रात:काल ठीक 09.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.

3. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे, यदि उनके लिए कोई निर्धारित पोशाक हो तो, उसमें उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होवें.

4. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त कार्यशाला में अपने साथ, Labour Law से संबंधित उस Bare Acts की प्रति अवश्य अपने साथ लावें जो वे श्रम न्यायालय में कार्य करते समय उपयोग में लाते हों.

5. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उन्हें उक्त कार्यशाला हेतु टी.ए. एवं डी. ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होगा.

6. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.

7. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन पर टैम्पो ट्रैक्स की व्यवस्था की जावेगी. जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रात:काल तक उपलब्ध रहेगी. अत: प्रशिक्षणार्थी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस से प्रात: 10.00 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.

8. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है. जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रात:काल तक उपलब्ध रहेगी. यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी. इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी.ए. एवं डी.ए. क्लेम करने के पात्र होंगे.

9. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दिन एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.

जबलपुर, दिनांक 6 अगस्त 2011

क्र. 1091-गोपनीय-2011-दो-3-1-2011 (भाग-बी).—न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में पांच दिवसीय प्रशिक्षण "Application of Information and Communication Technology to District Judiciary", जो दिनांक 5 से 9 सितम्बर 2011 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 5 सितम्बर 2011 को प्रात:काल ठीक 09.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:—

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.

2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 5 सितम्बर 2011 को प्रातः काल ठीक 09.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.

3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होवें. महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.

4. टी.ए. एवं डी.ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.

5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.

6. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन पर टैम्पो ट्रेक्स की व्यवस्था की जावेगी. जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.

7. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी. इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी. ए. एवं डी. ए. क्लेम करने के पात्र होंगे.

8. (1) न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने साथ Laptop Computers with Peripherals एवं Software CDs प्रशिक्षण सत्र में साथ लावें. साथ ही ई-कमेटी द्वारा प्रदाय की गई अध्ययन सामग्री व उच्च न्यायालय द्वारा प्रदाय किया गया "लेपटाप संचालन मार्गदर्शिका" भी साथ लेकर आवें.

(2) प्रशिक्षण में शामिल पृष्ठांकन में दर्शित ऐसे न्यायिक अधिकारी जो यह महसूस करते हैं कि वे कम्प्यूटर ज्ञान से भिज्ञ हैं एवं उन्हें लेपटॉप प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे इस संबंध में समय रहते सीधे प्रशिक्षण संस्थान को सूचित करें, ताकि आगामी कार्यवाही की जा सके.

(3) ऐसे न्यायिक अधिकारी जिनके लेपटॉप कार्यरत अवस्था में नहीं हैं अथवा गुम हो गये हैं, जो उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे इस संबंध में अपना प्रतिवेदन संस्थान को समय रहते प्रेषित करें, ताकि अन्य व्यवस्थाएं की जा सकें.

9. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 8 अगस्त 2011

क्र. सी-6482-दो-3-420-80-भाग नौ.—श्री अरूण कुमार मिश्रा, सेवानिवृत्ति लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को उनके सेवानिवृत्त दिनांक 30 अप्रैल 2011 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 180 दिवस (एक सौ अस्सी दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3-2-96-सी-चार, दिनांक 29 फरवरी 1996 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए. एम. येवलेकर, एडीशनल रजिस्ट्रार.

गणना-पत्रक

1.	श्री अरूण कुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश. जबलपुर का नियुक्ति दिनांक.	:	23-4-1970
2.	सेवानिवृत्ति दिनांक	:	30-4-2011
3.	नियुक्ति दिनांक 23-4-1970 से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि.	:	16 वर्ष 10 माह
4.	दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.	:	24 वर्ष 1 माह
5.	कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से).	:	16×15=240 दिन
6.	कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).	:	24=15×15=180 दिन.
7.	कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	420 दिन
8.	घटाईये:—सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.	:	240 दिन
9.	सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	180 दिन

(सेवानिवृत्ति दिनांक 30 अप्रैल 2011 को शेष अर्जित अवकाश 240 दिन).

जबलपुर, दिनांक 3 अगस्त 2011

क्र. A-2061-दो-2-13-2005.—श्री नवल किशोर गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब, न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 8 से 12 अगस्त 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 7 अगस्त 2011 के एवं पश्चात् में दिनांक 13, 14 एवं 15 अगस्त 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री नवल किशोर गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री नवल किशोर गर्ग, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-2063-दो-2-16-2002.—श्री शिवनारायण द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को दिनांक 23 से 27 अगस्त 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 अगस्त 2011 के एवं पश्चात् में दिनांक 28 अगस्त 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री शिवनारायण द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिवनारायण द्विवेदी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-2065-दो-2-53-2009.—श्री महेन्द्र पाल सिंह अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 10 से 12 अगस्त 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13, 14 एवं 15 अगस्त 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र पाल सिंह अरोरा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र पाल सिंह अरोरा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-2067-दो-2-119-06.—श्री शम्भू दयाल दुबे, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)-19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 3729-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 11 नवम्बर 2010 के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2007 से दिनांक 31 अक्टूबर 2009 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 8 अगस्त 2011

क्र. A-2110-दो-3-420-80-भाग नौ.—श्री राजीव सक्सेना, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2011 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 180 दिवस (एक सौ अस्सी दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3-2-96-सी-चार, दिनांक 29 फरवरी 1996 एवं मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 897-इक्कीस-ब (एक) 07, दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

गणना-पत्रक

1.	श्री राजीव सक्सेना, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद का नियुक्ति का दिनांक.	:	23-9-1981
2.	सेवानिवृत्ति दिनांक	:	31-7-2011
3.	नियुक्ति दिनांक 23-9-1981 से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि.	:	5 वर्ष 5 माह 14 दिन.
4.	दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.	:	24 वर्ष 4 माह 21 दिन.
5.	कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से).	:	5×15=75 दिन
6.	कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).	:	24=12×15=180 दिन.
7.	कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	255 दिन
8.	घटाईये:—सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.	:	75 दिन
9.	सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	180 दिन

(सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2011 को शेष अर्जित अवकाश 204 दिन).

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 897-इक्कीस ब-(एक) 07, दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. C-6478-दो-3-420-80-भाग नौ.—श्री अशोक कुमार जैन, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2010 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 180 दिवस (एक सौ अस्सी दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3-2-96-सी-चार, दिनांक 29 फरवरी 1996 एवं मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 897-इक्कीस-ब (एक) 07, दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

गणना-पत्रक

1.	श्री अशोक कुमार जैन, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी का नियुक्ति का दिनांक.	:	14-9-1979
2.	सेवानिवृत्ति दिनांक	:	31-12-2010
3.	नियुक्ति दिनांक 14-9-1979 से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि.	:	7 वर्ष 6 माह
4.	दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.	:	23 वर्ष 9 माह
5.	कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से).	:	7×15=105 दिन
6.	कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).	:	24=12×15=180 दिन.
7.	कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	285 दिन
8.	घटाईये:—सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.	:	105 दिन
9.	सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	180 दिन

(सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2010 को शेष अर्जित अवकाश 222 दिन).

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 897-इक्कीस ब-(एक) 07, दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. C-6480-दो-3-420-80-भाग नौ.—श्रीमती केशर यादव, सेवानिवृत्त दिनांक 31 जुलाई 2011 को उनके अवकाश लेखे में संचित 239 दिवस (दो सौ उनतालीस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3-2-96-सी-चार, दिनांक 29 फरवरी 1996 एवं मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 897-इक्कीस-ब (एक) 07, दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

गणना-पत्रक

1.	श्रीमती केशर यादव, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली का नियुक्ति दिनांक.	:	7-8-1978
2.	सेवानिवृत्ति दिनांक	:	31-7-2011
3.	नियुक्ति दिनांक 7-8-1978 से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि.	:	8 वर्ष 7 माह
4.	दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.	:	24 वर्ष 4 माह
5.	कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से).	:	8×15=120 दिन
6.	कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).	:	24=12×15=180 दिन.
7.	कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	300 दिन
8.	घटाईये:—सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.	:	30 दिन
9.	सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	270 दिन

(सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2011 को शेष अर्जित अवकाश 239 दिन).

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 897-इक्कीस-ब-(एक) 07, दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. C-6486-चार-8-42-77-तेरह.—श्री अतुल सक्सेना, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, बुरहानपुर को दिनांक 10 से 23 अप्रैल 2011 तक, चौदह दिन का अदेय अवकाश (लिव नॉट डयू) मध्यप्रदेश सिविल सेवायें (अवकाश) नियम 1977 के नियम 30 (ब),(द) एवं नियम 36 (2) के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अतुल सक्सेना, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अदय अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता नियमानुसार देय होगा.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अतुल सक्सेना, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-6488-दो-2-37-2007.—श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 15 से 24 जून 2011 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, दस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-6490-दो-3-65-2002.—श्री अशोक कुमार जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 6 से 8 जुलाई 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 एवं 10 जुलाई 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति दी प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-6492-दो-2-45-2011.—श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 28 जून से 2 जुलाई 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 3 जुलाई 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति दी प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना भट्ट, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-6494-दो-2-9-2011.—श्रीमती शशिकिरण दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 14 से 16 जुलाई 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 जुलाई 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति दी प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशिकिरण दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशिकिरण दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. E-3489-दो-3-26-2002.—श्री जे. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को दिनांक 19 से 22 जुलाई 2011 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके, चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जे. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-3491-दो-3-33-2006.—श्री राजीव सक्सेना, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को दिनांक 21 से 23 जुलाई 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 जुलाई 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव सक्सेना, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव सक्सेना, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 9 अगस्त 2011

क्र. C--6506-दो-3-66-2002.—श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 30 जून से 8 जुलाई 2011 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके नौ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 एवं 10 जुलाई 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्याम कुमार मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 4 अगस्त 2011

क्र. E-3355-दो-2-116-06.—श्री जी. डी. सक्सेना, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 3729-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 11 नवम्बर 2010 के अन्तर्गत दिनांक 26 नवम्बर 2007 से दिनांक 25 नवम्बर 2009 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 3 अगस्त 2011

क्र. 1082-गोपनीय-2011-दो-3-178-2008.—श्रीमती तृप्ति पाण्डे, षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, इन्दौर का विवाह श्री संकर्षण पाण्डे के साथ होने के फलस्वरूप उनकी प्रार्थनानुसार उनका नाम ''सुश्री तृप्ति पाण्डे'' के स्थान पर ''श्रीमती तृप्ति पाण्डे'' पति श्री संकर्षण पाण्डे, परिवर्तित करने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

क्र. 1084-गोपनीय-2011-दो-3-83-2011.—श्रीमती नताशा शेख पटेल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, इन्दौर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, इन्दौर का विवाह श्री मुस्तफा अबरार के साथ होने के फलस्वरूप उनकी प्रार्थनानुसार उनका नाम ''सुश्री नताशा शेख पटेल'' के स्थान पर ''श्रीमती नताशा शेख पटेल'' पति श्री मुस्तफा अबरार परिवर्तित करने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.